खंड 1, अंक 1, मंगलवार, 16 मई, 1978/26 वैशाख, 1900 (शक)
Vol. 1, No. 1, Tuesday, May 16, 1978/Vaisakha 26, 1900 (Saka)

संसद के सदनो की संयुक्त बैठक के वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF JOINT SITTING OF THE HOUSES OF PARLIAMENT DEBATES

Sixth Lok Sabha
(4th Session)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : *Four Rupees*

[यह संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Debates of the Joint Sitting of the Houses of Parliament and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री (बपटाला)
अंकिनीडु, श्रीमगन्ती (मछलीपटनम)
अंजेया, श्री टी० (आन्ध्र प्रदेश)
अतुले, श्री ए० आर० (महाराष्ट्र)
अंसारी, श्री फकीर अली (मिर्जापुर)
अकबर जहां बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अन्बालागन, श्री पी० (रामानाथपुरम)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अब्दुल लतीफ, श्री (नलगोंडा)
अमरजीत कौर, श्रीमती (पंजाब)
अमला, श्री तीर्थ राम (जम्मू और काश्मीर)
अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन, प्रो० आर० के० (सुरेन्द्रनगर)
अनन्तन, श्री कुमरी (नागरकोइल)
अर्गल, श्री छविराम (सुरैना)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अरुणाचलम, श्री वी० (तिरुनेलवेली)
अलगेसन, श्री ओ० वी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसिरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अवारी, श्री गव एम० (नागपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पेरम्बलर)
असाइथम्बी, श्री ए० वी० पी० (मद्रास उत्तर)
अहमद, श्री हलीमुद्दीन (किशनगंज)
अहमद हुसैन, श्री (धुबरी)
अहसान जाफरी, श्री (अहमदाबाद)
अस्थाना, श्री के० बी० (उत्तर प्रदेश)

आ

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गुजरात)
आडिवरेकर, श्रीमती सुशीला शंकर (महाराष्ट्र)
आदिशेषैया, डा० माल्कोम सत्यनाथन (नाम-निर्देशित)
आनन्द, श्री जगजीत सिंह (पंजाब)
आनंदम्, श्री एम० (आन्ध्र प्रदेश)
आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आरिफ, श्री मुहम्मद उस्मान (राजस्थान)
आवरगांवकर, श्री आर० डी० जगताप (महाराष्ट्र)
आल्वा, श्रीमती मार्गेट (कर्नाटक)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतूल)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
इमाम, श्रीमती अजीजा (बिहार)
इस्माईल, श्रीमती फातिमा (नाम-निर्देशित)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (वडागरा)

ए

एंगती, श्री बीरेन (स्वायत्तशासी)

ओ

एलनचेजियन, श्री वी० एस० (पुद्दकोट्टाई)
ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्यामभाई (गुजरात)

औ

औराव, श्री लालू (लोहारडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया)
कलराज, श्री (उत्तर प्रदेश)
कलानिया, श्री इब्राहीम (गुजरात)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कृपलानी, श्री कृष्ण (नाम-निर्देशित)
कृष्ण, श्री एम० आर० (आन्ध्र प्रदेश)
कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन, श्री ई० आर० (तमिलनाडु)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णन, श्री यु आर० (तमिलनाडु)
कृष्णप्पा, श्री एम० बी० (चिकबल्लापुर)
काम्बले, प्रो० एन० एम० (महाराष्ट्र)
काकती, श्री रोबिन (आसाम)
काकड़े, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कादिरशाह, श्री एम० (तमिलनाडु)
कानन, श्री पी० (सलेम)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामादौया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामेश्वर सिंह, श्री (बिहार)

काम्बले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण-मध्य)
कार, श्री सरत (कटक)
कालदाते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
कासिम, सैयद मीर (जम्मू कश्मीर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (आजमगढ़)
किशोर लाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदुनाथ (झाड़ग्राम)
कुलकर्णी, श्री ए० जी० (महाराष्ट्र)
कुंजाचन, श्री पी० के० (केरल)
कुमारन, श्री एस० (केरल)
कुन्दू, श्री एस० (बालासोर)
कुन्हम्बू, श्री के० (ओट्टापलम)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलाल गंज)
कुरील, श्री प्यारेलाल उर्फ श्री प्यारे लाल तालिब (उत्तर प्रदेश)
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद (घाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुशवाहा, श्री राम नरेश (सनेमपुर)
केहो, श्री (बाह्य मणिपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (विलासपुर)
केसरी, श्री सीताराम (बिहार)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री बी० वी० अब्दुल्ला (केरल)
कोलनथाइवेलु, श्री आर० (तिरुचेंगोड़)
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कोल्लूर, श्री एम० एल० (कर्नाटक)
कोसलराम, श्री के० टी० (तिरुचेंडूर)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)

ख

खां, श्री इस्माइल हुसैन (बारपेटा)
खां, श्री कुंवर महमूद अली (हापुड़)
खां, श्री खुरशीद आलम (दिल्ली)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां श्री महमूद हसन (बुलंदशहर)
खां, श्री मोहम्मद शमसुल हसन (पीलीभीत)
खां, श्रीमती उषा (राजस्थान)
खान, प्रो० रशीदुद्दीन (नाम-निर्देशित)
खान, श्री गयूर अली (उत्तर प्रदेश)
खान, श्री एफ० एम० (कर्नाटक)
खान, श्री मकसूद अली (कर्नाटक)

खापर्डे, श्रीमती सरोज (महाराष्ट्र)
खालसा, श्री बसंत सिंह (रोपड़)
खोबरागडे, श्री भा० दे० (महाराष्ट्र)

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहाबाद)
गंगा सिंह, श्री (मंडी)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गवई, श्री डी० जी० (बुलडाना)
गाडगील, श्री विट्ठल (महाराष्ट्र)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्दन सिंह, श्री (शिवहर)
गिल, श्री रघुबीर सिंह (पंजाब)
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर)
गुप्ता, श्री गुरुदेव (मध्य प्रदेश)
गुप्ता, श्री भूपेश (पश्चिम बंगाल)
गुप्ता, श्री राम लखन प्रसाद (बिहार)
गुप्ता, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुहा, श्री समर (कन्टाई)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोगोई, श्री त्रिलोक (आसाम)
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोपालस्वामी, श्री वी० (तमिलनाड्)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई उत्तर)
गोविन्दजीवाला, श्री परमानन्द (खंडवा)
गोस्वामी, श्री श्रीमन् प्रफुल्ल (आसाम)
गोस्वामी, श्री दिनेश (आसाम)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौंडर, श्री वेणुगोपाल (वान्डीवाश)
गौडा, श्री के० एस० माले (कर्नाटक)
गौडा, श्री ननजेश (हसन)
गौडा, श्री यू० के० लक्षमण (कर्नाटक)

घ

घोष, श्री शंकर (पश्चिम बंगाल)
घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती, श्री अमर प्रसाद (पश्चिम बंगाल)
चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप (कलकत्ता दक्षिण)
चटर्जी, श्री प्रणव (बिहार)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चट्टोपाध्याय प्रो० डी० पी० (पश्चिम बंगाल)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शंभू नाथ (आगरा)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमंगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (कन्नानूर)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्र, डा० प्रताप चन्द्र (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्र शेखर, श्रीमती मरगतम (नाम-निर्देशित)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरी, श्री (कोकराझार)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चानना, श्री चरणजीत (दिल्ली)
चावड़ा, श्री के० एस० (पटना)
चांद राम, श्री (सिरसा)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांड्यां)
चेतरी, श्री के० बी० (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के० बी० (बीजापुर)
चौधरी, श्री एन० पी० (मध्य प्रदेश)
चौधरी, डा० चन्द्रमणि लाल (बिहार)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर० (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशीदा हक (सिल्चर)
चौधरी, श्री रुद्र सेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौरसिया, श्री शिव दयाल सिंह (उत्तर प्रदेश)
चौहान, श्री नवाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जकारिया, डा० रफीक (महाराष्ट्र)
जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथन, श्री एस० (श्रीपेरम्बदूर)

जगवीर सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
जनार्दनम. श्री ए० पी० (तमिल नाडु)
जमुना देवी, श्रीमती (मध्य प्रदेश)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह (जम्मू)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जाधव, श्री पांडुरंग धर्मजी (नाम-निर्देशित)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकन्दपुरम)
जायसवाल, श्री अनन्त राम (फैजाबाद)
जावदे, श्री श्रीधरराव नाथोबाजी (यवतमाल)
जुल्फिकार उल्लाह, श्री (सुलतानपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
जैन, श्री कचरूलाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जैन, श्री धर्मचन्द (बिहार)
जैन, श्री निर्मल चन्द्र (सिवनी)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्रीमती, कुमुदबैन मणिशंकर (गुजरात)
जोशी, श्री कृष्णानन्द (उत्तर प्रदेश)
जोशी, श्री जगदीश (मध्य प्रदेश)
जोशी, श्री जगन्नाथराव (दिल्ली)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अलमोड़ा)

झ

झा, श्री कमलानाथ (बिहार)
झा, श्री शिव चन्द्र (बिहार)

ट

टिर्की, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकुर, श्री अघन सिंह (कांकर)
ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)

ड

डान, श्री राजकृष्ण (बर्दवान)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डिगल, श्री बाटचा (फूलबनी)
डोले, श्री एल० के० (लखीमपुर)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
तलवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिलक, श्री जे० एस० (महाराष्ट्र)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री मदन (राजनन्दगांव)
तिवारी, श्री बृज भूषण (खलीलाबाद)
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)
तुलसीराम, श्री वी० (पेड्डापल्ली)
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)
तोतू, श्री ज्ञान चन्द (हिमाचल प्रदेश)
तोहरा, श्री जे० एस० (पटियाला)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)
त्यागराजन, श्री पी० (शिवगंगा)
त्रिपाठी, श्री कमलापति (उत्तर प्रदेश)
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरियागंज)
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कनौज)
त्रिलोकी सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टयम)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढ़रपुर)

द

दत्त, श्री अशोक कृष्ण (दमदम)
दत्त, श्री वी० पी० (नाम-निर्देशित)
दवे, श्री अनन्त (कच्छ)
दण्डयुतपाणि, श्री वी० (वेल्लोर)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि (जालना)
दाभी, श्री अजीत सिंह (आनन्द)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री आर० पी० (कृष्णनगर)
दास, श्री एस० एस० (सीतामढ़ी)
दास, श्री बिपिनपाल (आसाम)
दासगुप्ता, श्री के० एन० (जलपाईगुड़ी)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)
दिनेश चन्द्र, श्री स्वामी (राजस्थान)
दिनेश सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
द्विवेदी, श्री देवेन्द्र नाथ (उत्तर प्रदेश)
दुर्गा चन्द, श्री (कांगड़ा)

दैब बर्मन, श्री बीर चन्द्र (त्रिपुरा)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)
देशमुख, डा० बापूरावजी मारूतरावजी (महाराष्ट्र)
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)
देशमुख, श्री शेषराव (परभणी)
देसाई, श्री आर० एम० (कर्नाटक)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री दाजीबा (कोल्हापुर)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोदरा)

ध

धारा, श्री सुशील कुमार (तामलुक)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धावे, श्री श्रीधर वासुदेव राव (महाराष्ट्र)
धुर्वे, श्री श्यामलाल (मांडला)
धुलुप, श्री के० एन० (महाराष्ट्र)
धोंडगे, श्री केशवराव (नांदेड़)

न

नटरजन, श्री सी० डी० (तमिलनाडू)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)
नन्द, श्री नरसिंह प्रसाद (उड़ीसा)
नथुनी राम, श्री (नवादा)
नरेन्द्र सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
नरेन्द्र सिंह, श्री (दामोह)
नत्थी सिंह, श्री (राजस्थान)
नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नायक, श्री एल० आर० (कर्नाटक)
नायक, श्री एस० एच० (नानदरबार)
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)
नायक, श्री वी० पी० (वाशीम)
नायडू, श्री एन० पी० चेंगलराया (आन्ध्र प्रदेश)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)
नायर, श्री बी० के० (मावेलीकारा)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नाहर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
नाहाटा, श्री अमृत (पाली)
निगम, श्री लाडली मोहन (मध्य प्रदेश)

निजामुद्दीन, श्री सैयद (जम्मू कश्मीर)
नेगी श्री टी० एस० (टिहरी-गढ़वाल)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पंत श्री कृष्ण चन्द्र (उत्तर प्रदेश)
पई श्री टी० ए० (उदीपी)
परमार, श्री नटवर लाल बी० (ढ़ढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परास्ते, श्री दलपत सिंह (शहदोल)
पर्टिन, श्री वकिन (अरुणाचल पूर्व)
परुलेकर, श्री बापूसाहेब (रत्नगिरि)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटनायक, श्री बी० सी० (उड़ीसा)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटवारी, श्री एच० एल० (मंगलदोई)
पटेल, श्री अहमद एम० (बड़ौच)
पटेल, श्री धर्मसिंहभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री आर० आर० (दादरा और नागर हवेली)
पटेल, कुमारी मनिबेन बल्लभभाई (मेहसाना)
पटेल, श्री मनुभाई मोतीलाल (गुजरात)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, श्री द्वारिकादास (अमरेली)
पटेल, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
पण्डित, डा० वसंत कुमार (राजगढ़)
पाण्डे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पाण्डे, श्री विशम्भरनाथ (नाम-निर्देशित)
पजनौर, श्री अरविन्द वाला (पाण्डेचेरी)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख)
पाटिल, श्री एस० डी० (एरन्डोल)
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त (हिंगोली)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री यू० एस० (लातूर)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री बालासाहेब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री देवराव (महाराष्ट्र)
पाटिल, श्री विजयकुमार एन० (धुलिया)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगौन)
पाठक, श्री आनन्द (पश्चिम बंगाल)
पारिख, प्रो० रामलाल (गुजरात)

पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुलय्या, श्री दारुर (अनन्तपुर)
पेरियासामी, डा० पी० वी० (कृष्णगिरि)
प्रेम मनोहर, श्री (उत्तर प्रदेश)
पोद्दार, श्री आर० के० (बिहार)
प्रभू सिंह, श्री (हरियाणा)
प्रधान, श्री अमर राय (कूच विहार)
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)
प्रधान, श्री पतितपावन (उड़ीसा)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रसाद, श्री के० एल० एन० (आन्ध्र प्रदेश)

फ

फजलुर रहमान, श्री (बेतिया)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागोआ)
फर्नान्डीज़, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फिरंगी प्रसाद, श्री (बंसगांव)

ब

बंसीलाल, श्री (हरियाणा)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (गोहाटी)
बटेश्वर, हेमराम, श्री (दुमका)
बद्री नारायण श्री ए० आर० (शिमोगा)
बनतवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बनर्जी, श्री जहरलाल (पश्चिम बंगाल)
बनर्जी, श्री बी० एन० (नाम-निर्देशित)
बर्मन, श्री किरित बिक्रम देब (त्रिपुरा पूर्व)
बर्मन, श्री बंसेनजित (पश्चिम बंगाल)
बर्मन, श्री पालस (बलूरघाट)
बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरूर)
बरवे, श्री जे० सी० (रामटेक)
बृज राज सिंह, श्री (आंवला)
ब्रह्म प्रकाश, चौधरी (बाह्य दिल्ली)
बरुआ, श्री देवकान्त (नवगांव)
बरुआ, श्री बेदव्रत (कालियाबोर)
बलदेव प्रकाश, डा० (अमृतसर)
बलबीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बलराम दास, श्री (मध्य प्रदेश)
बलेश्वर दयाल, श्री (मध्य प्रदेश)
बसवराज, श्री एच० आर० (कर्नाटक)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्रनाथ (कटवा)
बशीर, श्री टी० (केरल)
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फूलपुर)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ)
बागड़ी, श्री मनी राम (मथुरा)
बागुन सुम्बरूई, श्री (सिंहभूम)
बागेतकर, श्री सदाशिव (महाराष्ट्र)
बाल, श्री प्रद्युमन (जगतसिंहपुर)
बालक राम, श्री (शिमला)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरुपति)
बासप्पा, श्री कोंडाजी (दावनगेरे)
बासर, श्री टोडक (नाम-निर्देशित—अरुणाचल प्रदेश)
बूरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर)
बेरवा, श्री राम कंवर (टोंक)
बैरागी, श्री जैना (भद्रक)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)
बोरोले, श्री यशवंत (जलगांव)
बोस, श्रीमती प्रतिमा (पश्चिम बंगाल)
बोंडे, श्री नानासाहिब (अमरावती)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री गणपत हीरालाल (महाराष्ट्र)
भगत राम, श्री (फिलोर)
भगवान दीन, श्री (उत्तर प्रदेश)
भंवर, श्री भागीरथ (झाबुआ)
भण्डारी, श्री सुन्दर सिंह (उत्तर प्रदेश)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भट्टाचार्य, श्री श्यामप्रसन्न (उलबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जी० सी० (उत्तर प्रदेश)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचारजी, प्रो० सौरीन्द्र (पश्चिम बंगाल)
भावड़ा श्री हरिशंकर (राजस्थान)
भारत भूषण, श्री (नैनीताल)
भानु प्रताप सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
भीम राज, श्री (राजस्थान)
भीष्म देव, श्री एम० (नागरकुरनूल)
भुवारहान, श्री जी० (कुड्डलूर)
भोला प्रसाद, श्री (बिहार)

म

मंगल देव, श्री (अकबरपुर)

मंडल, श्री आहमद होसेन (पश्चिम बंगाल)
मण्डल, श्री धनिक लाल (झंझरपुर)
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरा पुर)
मंडल,. डा० विजय (बांकुरा)
मंडल,. श्री बी० पी० (मधे पुरा)
मकवाणा, श्री योगेन्द्र (गुजरात)
मछण्ड, श्री रघुबीर सिंह (भिंड)
मनहर, श्री भगतराम (मध्य प्रदेश)
मनोहर लाल, श्री (कानपुर)
मयती, श्रीमती आभा ((पंसकुरा)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जयपुर)
मलिक, श्री सैयद अब्दुल (आसाम)
मलिक, श्री हरेकृष्ण (उड़ीसा)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मलहोत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महन्ती, श्री भैरव चन्द्र (उड़ीसा)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (उड़ीसा)
महाटा, श्री सी० आर० (पुरुलिया)
महापात्र, श्री लक्ष्मण (उड़ीसा)
महालगी, श्री आर० के० (थाना)
महाला, श्री के० एल० (झुनझुनू)
महाले, श्री हरीशंकर (मालेगांव)
महावीर, डा० भाई (मध्य प्रदेश)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महिडा, श्री हरिसिंह भगुवावा (गुजरात)
महीलाल, श्री (बिजनौर)
मागर, श्री अण्णासाहिब (खेड़ा)
माझी, श्री धनेश्वर (उड़ीसा)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (उत्तर प्रदेश)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
माधवन, श्री के० के० (केरल)
मानकर, श्री लक्ष्मण राव (भंडारा)
माने, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजी)
मायातेबर, श्री के० (डिंडीगुल)
मारन, श्री मुरासोली (तमिलनाडु)
मालन्ना, श्री के० (चित्रदुर्ग)
मावलंकर, प्रो० पी० जी० (गांधीनगर)
मित्तल, श्री सत पाल (पंजाब)
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली (मुर्शिदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री राम निवास (राजस्थान)
मिरी, श्री गोविन्द राम (सारंगढ़)

मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, महेन्द्र मोहन (बिहार)
मिश्र, श्री ऋषि कुमार (राजस्थान)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मुखर्जी, श्रीमती कनक (पश्चिम बंगाल)
मुखर्जी, श्री प्रणव (पश्चिम बंगाल)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुखोपाध्याय, श्रीमती पूर्वी (पश्चिम बंगाल)
मुण्डा, श्री करिया (खुंटी)
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योंझर)
मुत्तु, डा० (श्रीमती) सत्यवाणी (तमिलनाडु)
मुनुसामी, श्री वी० पी० (पाण्डिचेरी)
मुरमू, फादर एंथनी (राजमहल)
मुराहरी, श्री गौड़े (विजयवाडा)
मुरारका, श्री आर० आर० जी (राजस्थान)
मुरुगैयन, एस० जी० (नागपट्टीनम)
मुरुगेसन, श्री ए० (चिदम्बरम)
मुल्ला, श्री सुरेश नारायण (उत्तर प्रदेश)
मुलतान सिंह, चौधरी (जलेसर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमलापुरम)
मूपनार, श्री जी० के० (तमिलनाडु)
मदुरी, श्री नागेश्वर राव (तेनाली)
मेनन, श्रीमती लीला दामोदर (केरल)
मेनन, श्री विश्वनाथ (केरल)
मेतहा, श्री ओम (जम्मू और कश्मीर)
मेहता, श्री प्रसन्नभाई (भावनगर)
मेहरोत्रा, श्री प्रकाश (उत्तर प्रदेश)
मैथ्यू, श्री जार्ज (मुवत्तुपुजा)
मोहदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गुजरात)
मोज़ेज, श्री एम० (तमिलनाडु)
मोहन भैया, श्री (दुर्ग)
मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)
मोहनरंगम, श्री रागावलू (चेंगलपट्टू)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मोहिन्दर कौर, श्रीमती (हिमाचल प्रदेश)
मोहिन्दर सिंह, श्री (करनाल)
मोहिदीन, श्री एस० ए० खाजा (तमिलनाडु)
मौर्य, श्री बुद्ध प्रिय (आन्ध्र प्रदेश)
म्हैसेकर, श्री गोविन्दराव रामचन्द्र (गुजरात)

य

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री नरसिंह (चन्दौली)
यादव, श्री रामजीलाल (अलवर)
यादव, श्री रामानन्द (बिहार)
यादव, श्री रूप नाथ सिंह (प्रतापगढ़)
यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहरसा)
यादव, श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री हुकमदेव नारायण (मधुबनी)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगरिया)
यादवेन्द्र दत्त श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रंगनाथन, श्री एस० (तमिलनाडु)
रंगनैकर, श्रीमती अहिल्या, पी० (बम्बई उत्तर-मध्य)
रंगा, श्री एन० जी० (आन्ध्र-प्रदेश)
रघुबीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
रघुरामैया, श्री के० (गुंटुर)
रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर)
रज्जाक, श्रीमती नूरजहान (तमिलनाडु)
रतनकुमारी, श्रीमती (मध्य प्रदेश)
रथ, श्री रामचन्द्र (अस्का)
रमापति सिंह, श्री (मोतीहारी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहमतुल्ला, श्री मोहम्मद (आन्ध्र प्रदेश)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राघवेन्द्र सिंह, श्री (उन्नाव)
राज केशर सिंह, श्री (मछलीशहर)
राज नारायण, श्री (राय बरेली)
राज्यदा, श्री रत्न सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजन, श्री पटीम (केरल)
राजशेखरम, श्री पलवासा (आन्ध्र प्रदेश)
राजू, श्री के० ए० (पौलाची)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोबिली)
राजू, श्री वी० बी० (आन्ध्र प्रदेश)
राजेन्द्र कौर, श्रीमती (पंजाब)
राठवा, श्री अमर सिंह वी० (छोटा उदयपुर)

राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)
राम अवधेश सिंह, श्री (बिक्रमगंज)
राम, श्री आर० डी० (पलामू)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
राम किशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिलहोर)
रामचन्द्रन, श्री पी० (मद्रास मध्य)
राम चरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह, श्री (गिरिडीह)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रामधन, श्री (लालगंज)
राम मूर्ति सिंह, श्री (बरेली)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राममूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामामूर्ति, श्री पी० (तमिलनाडु)
रामलिंगम, श्री एन० कुन्दन तई (मयूरम्)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नील गिरि)
रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबीचेटीपलायम)
रामास्वामी, श्री एस० (पेरीकुलम)
रामूवलिया, श्री बलवंत सिंह (फरीदकोट)
रामेश्वर सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री कल्पनाथ (उत्तर प्रदेश)
राय, श्री कल्याण (पश्चिम बंगाल)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री रबी (उड़ीसा)
राय, श्री शिव राम (घोसी)
राय, डा० सरदीश (बालपुर)
राय, श्री सौगत (बैरकपुर)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगम कोन्डाला (खम्मम)
राव, श्री जी० मल्लिकार्जन (वारंगल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजसुन्दरी)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (हनीमकोंडा)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री राजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राव, श्री वी० सी० केसवा (आन्ध्र प्रदेश)

राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
राचैया, श्री बी० (चामराजनगर)
रेड्डी, श्री के० अबुल (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० वी० रघुनाथ (आन्ध्र प्रदेश)
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री पी० बायप्पा (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री वी० सत्यनारायण (आन्ध्र प्रदेश)
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री मुल्का गोविन्द (कर्नाटक)
रेड्डी, श्री आर० नरसिम्हा (आन्ध्र प्रदेश)
रेड्डी, श्री एस० आर० (गुलबर्गा)
रोड्रिग्स, श्री रुडोल्फ (नाम-निर्देशित आंगल भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)
रोशनलाल, श्री (हिमाचल प्रदेश)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लखन सिंह, श्री (उत्तर प्रदेश)
लहानू, सिड़वाकोम, श्री (डहानू)
लक्ष्मणन, श्री जी० (तमिलनाडु)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर० (त्रिवेन्द्रम)
लाल, श्री एस० एस० (बयाना)
लालजी, भाई, श्री (सलूम्बर)
लालबुआइया, श्री (मिजोरम)
लालू प्रसाद, श्री (छपरा)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिंगडोह, श्री होपिंगस्टोन (शिलांग)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लोकेश चन्द्र, डा० (नाम-निर्देशित)
लोथा, श्री ह्योमो (नागालैंड)

व

वकील, श्री अब्दुल अहद (बारामूला)
वरजरी, श्री एलेग्जेन्डर (मेघालय)
वर्मा, श्री आर० एल० पी० (कोडरमा)
वर्मा, श्री भगवती चरण (नाम-निर्देशित)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (अर्राह)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बृज लाल (महासमुन्द)
वर्मा, श्री महादेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश)
वर्मा, श्री मृत्युंजय प्रसाद (सिवान)

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (चतरा)
वर्मा, श्री हरगोविन्द (सीतापुर)
वर्मा, श्री श्रीकांत (मध्य प्रदेश)
वशिष्ट, श्री धर्म वीर (फरीदाबाद)
वाघेला, श्री शंकरसिंह जी (कापड़वंज)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी० एन० (तिरुपत्तूर)
वीरभद्रप्पा, श्री के० एस० (बेलारी)
वीरेन्द्र प्रसाद, श्री (नालन्दा)
वेंकटराव, श्री चडलावादा (आन्ध्र प्रदेश)
वेंकटसुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेंकटरामन, श्री आर० (मद्रास दक्षिण)
वेंकटारेड्डी, श्री पी० (अंगोला)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंका, श्री वी० (तमिलनाडु)
वेणीगल्ल, सत्यनारायण, श्री (आन्ध्र प्रदेश)
वैशंपायन, श्री एस० के० (महाराष्ट्र)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्कोदी)
शर्मा, श्री अजित कुमार (आसाम)
शर्मा श्री अनन्त प्रसाद (बिहार)
शर्मा, श्री किशन लाल (राजस्थान)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री यज्ञ दत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बिहार)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री दया राम (फरुखाबाद)
शान्तिदेवी, श्रीमती (सम्भल)
शान्ति भूषण, श्री (उत्तर प्रदेश)
शामना, श्री हमीद अली (केरल)
शायजा, श्रीमती रानो एम० (नागालैंड)
शास्त्री, श्री राम धारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री भानुकुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री भोला पासवान (बिहार)
शास्त्री, श्री दाई० पी० (रेवा)
शाहदुल्लाह, श्री सईद (पश्चिम बंगाल)
शाह, श्री डी० पी० (बस्तर)
शाह, श्री बीरेन जे० (गुजरात)

शाह, श्री सूरत बहादुर (खेरी)
शाही, श्री नागेश्वर प्रसाद (उत्तर प्रदेश)
शिन्दे, श्री अणासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्पति राम, श्री (रावर्टगंज)
शुक्ल, श्री चिमनभाई एच० (राजकोट)
शुक्ल, श्री मदन लाल (जंजगीर)
शेख, श्री अब्दुल रेहमान (उत्तर प्रदेश)
शेख, श्री घौस मोहिद्दीन (आन्ध्र प्रदेश)
शेजवालकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)
श्याम कुमारी देवी, श्रीमती (मध्य प्रदेश)

श्र

श्रंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्री कृष्णसिंह, श्री (मुंगेर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सईद मुर्तजा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सच्चिदानन्द, श्री (कर्नाटक)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानल)
सत्यनारायण, श्री द्रोनम राजू (विशाखापट्टनम)
सत्यदेव सिंह, श्री (गोंडा)
सन्याल, श्री शशांकशेखर (जंगीपुर)
समद, श्री गोलंदाज मोहम्मद हुसेन (गुजरात)
सरकार, श्री एस० के० (जयनगर)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करौल बाग)
सलीम, श्री मोहम्मद युनूस (आन्ध्र प्रदेश)
सहाय, श्री दयानन्द (बिहार)
सामन्तसिरा, श्री पदमाचरण (पुरी)
साठे, श्री वसंत (अकोला)
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़)
साय, श्री लारंग (सरगुजा)
सारदा, श्री एस० के० (अजमेर)
सरदार, श्री महेन्द्र नारायण (अररिया)
सारन, श्री दौलत राम (चुरू)
सार्रिंग, श्री लियोनार्ड सोलोमन (सिक्किम)
साल्वे, श्री एन० के० पी० (महाराष्ट्र)
साह, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साहू, श्री एन्थू (बोलनगीर)

साहू, श्री सन्तोष कुमार (उड़ीसा)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिद्धू, डा० मदन मोहन सिंह (उत्तर प्रदेश)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती विजया राजे (मध्य प्रदेश)
सिंह, डा० बी० एन० (हजारीबाग)
सिंह, श्री एन० तोम्पोक (मनीपुर)
सिंह, श्री जे० के० पी० एन० (बिहार)
सिंह, श्री भीष्म नारायण (उत्तर प्रदेश)
सिंह, श्रीमती प्रतिभा (बिहार)
सिंह, श्री शिवनन्दन (उत्तर प्रदेश)
सिंह, श्री सचीन्द्रलाल (त्रिपुरा पश्चिम)
सिन्हा, डा० रामकृपाल (बिहार)
सिन्हा, श्री इन्द्रदीप (बिहार)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री एम० पी० (पटना)
सिन्हा, श्री पूर्णानारायण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिसोदिया, श्री सवाईसिंह (मध्य प्रदेश)
सुखेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
सुजान सिंह, श्री (हरियाणा)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पालघाट)
सुधीरन, श्री वी० एम० (अल्लप्पी)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र मोहन, श्री (उत्तर प्रदेश)
सुरेन्द्र बिक्रम, श्री (शाहजहानपुर)
सुल्तान सिंह, श्री (हरियाणा)
सुल्तान, श्रीमती मैमूना (मध्य प्रदेश)
सुरजीत, श्री हरकिशन सिंह (पंजाब)
सूरज भान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सूर्य नारायण सिंह, श्री (सिधी)
सेझियान, श्री ईरा (तमिलनाडु)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (मनजेरी)
सेठ, श्री विनोदभाई बी० (जामनगर)
सेठी, श्री पी० सी० (मध्य प्रदेश)
सैंयावाला, श्री मोहिन्दर सिंह (फिरोजपुर)
सैनी, श्री मनोहर लाल (महेन्द्रगढ़)

सैयद मुहम्मद, डा० वी० ए० (कालीकट)
सोनी, श्रीमती अम्बिका (पंजाब)
सोमानी, श्री रूप लाल (भिलवाड़ा)
सोमानी, श्री एस० एम० (चितौरगढ़)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (तंजावूर)
स्वतंत्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वरूप सिंह, डा० (हरियाणा)
स्टीफन, श्री सी० एम० (इदुक्की)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)
स्वामी, सिद्धरामेश्वर (कोपल)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामीनाथन, श्री वी० वी० (तमिलनाडु)
स्वू, श्री स्कातो (नाम-निर्देशित)

ह

हंसदा, श्री फणीन्द्र नाथ (पश्चिम बंगाल)
हजारी, श्री राम सेवक (रौसड़ा)
हबीबुल्लह, श्रीमती हमीदा (उत्तर प्रदेश)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हशीम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हाशमी श्री सैयद अहमद (उत्तर प्रदेश)
होडे, श्री वी० जी० (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हीरा भाई, श्री (बांसवाड़ा)
हुकम राम, श्री (जालौर)
हेगड़े, श्री के० एस० (बंगलौर दक्षिण)
हेगड़े, श्री रामकृष्ण (कर्नाटक)

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्किम)

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक

अध्यक्ष

श्री के० एस० हेगड़े

उपाध्यक्ष

श्री गोडे मुराहरी

उप-सभापति

श्री राम निवास मिर्धा

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
गृह मंत्री	श्री चरण सिंह
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री लाल कृष्ण अडवाणी
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री सिकन्दर बख्त
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री शांति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नांडिस
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री राजनारायण
वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मंत्री	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मंत्री	श्री पी० रामचन्द्रन
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
सचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धन्ना सिंह गुलशन
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम किंकर
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कुन्डू
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	कुमारी आभा मैती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धनिक लाल मण्डल
पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री करिया मुण्डा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० डी० पाटिल

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री लारंग साय
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० लेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भानू प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जगबीर सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० राम कृपाल सिन्हा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नरसिंह यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जुल्फिकार उल्लाह
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी

विषय सूची
Contents

मंगलवार, 16 मई, 1978/26 वैशाख, 1900 (शक)

Tuesday May, 16, 1978/Vaisakha, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
स्वागत भाषण	Welcome Address	1
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन)	Banking Service Commission (Repeal) Bill	1—25
विधेयक लोक सभा द्वारा पारित रूप में किन्तु राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत रूप में सभा पटल पर रखा गया।	Laid on the Table as passed by Lok Sabha and rejected by Rajya Sabha	1
व्यवस्था के प्रश्न	Points of Order	2
बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक	Banking Service Commission (Repeal) Bill	6
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	6
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi	8
श्री आर० आर० मोरारका	Shri R.R. Morarka	9
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	10
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	11
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	11
श्री जार्ज फर्नाण्डीज	Shri George Fernandes	12
श्री अरविन्द बाला पजनर	Shri A. Bala Pajanor	13
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	13
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy	14
श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Devendra Nah Dwivedi	15
श्री भूपेश गुप्त	Shri Bhupesh Gupta	16
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	16
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai	17
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	17
श्री शंकर घोष	Shri Sankar Ghose	18
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	19
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	19
श्री पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavlankar	25

खंड 1 अंक 1
No. 1

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक
JOINT SITTING OF THE HOUSES OF PARLIAMENT

मंगलवार, 16 मई, 1978/26 वैशाख, 1900 (शक)
Tuesday, May 16, 1978/*Vaisakha*, 1900 (*Saka*)

संसद भवन के केन्द्रीय हाल में संसद के सदनों की संयुक्त बैठक 11 बजे समवेत हुई
The Houses of Parliament met in Joint Sitting in the Central Hall of Parliament House at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

स्वागत भाषण
WELCOME ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संसद के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जबकि इस तरह की संयक्त बैठक बुलाई गई है।

पहली संयुक्त बैठक दहेज निषेध विधेयक के सम्बन्ध में बुलाई गई थी।

यह संयुक्त बैठक बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 पर मतदान करने के लिए बुलाई गई है। लोक सभा ने यह विधेयक 5 दिसम्बर, 1977 को पारित किया था और राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1977 को अस्वीकृत किया गया था।

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक
BANKING SERVICE COMMISSION (REPEAL) BILL

विधेयक सभा पटल पर रखा गया
BILL LAID ON THE TABLE.

सचिव : श्रीमान्, मैं बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने वाला विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किन्तु राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

व्यवस्था के प्रश्न

POINTS OF ORDER

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) :

श्री एस० एस० लाल (बयाना) : उठे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संयुक्त बैठक है। बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य बात पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मत कीजिए।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस संयुक्त बैठक को बुलाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में है। संयुक्त बैठक में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1961 में जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और उस समय जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे अब नहीं अपनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित बात कीजिए।

श्री के० लकप्पा : मैं इस विधेयक का विरोध भी करता हूं। भूतपूर्व सरकार ने एक प्रगतिशील विधान पेश किया किन्तु वर्तमान सरकार उसका निरसन करना चाहती है।...(व्यवधान)... यह वित्त मंत्री के अधिकार में नहीं है कि वह इस विधेयक को पारित करवाये। यह भूतपूर्व सरकार द्वारा पारित अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तों का विरोध करता है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : यह स्मरण रहे कि कल लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं हुई, इसे आज सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित किया गया था, जब इसे राज्य सभा के साथ संयुक्त बैठक करनी थी । अतः संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत जारी समनों के अनुसार लोक सभा की बैठक अब भी जारी है । अब यदि लोक सभा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत जारी समनों के अधीन बैठी है तो यह बैठक नहीं हो सकती क्योंकि संयुक्त बैठक केवल अनुच्छेद 108(3) के अन्तर्गत ही हो सकती है। संयुक्त बैठक उसी समय बुलाई जा सकती है, जब दोनों सभाओं की बैठकें न हो रही हों।

1961 में जब दहेज विषेध विधेयक पर विचार करने के लिये दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक हुई थी तो राष्ट्रपति ने केवल दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का अपना आशय बताते हुए केवल एक सन्देश जारी किया था और उसके बाद दोनों सभाओं को बुलाने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। उसके बाद आमंत्रण पत्र जारी किये गये थे। इस प्रकार इसमें तीन स्तर थे। एक तो राष्ट्रपति के आशय को अधिसूचित करना था। दूसरा संयुक्त बैठक बुलाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा आदेश पास करना और तीसरा दोनों सभाओं के सदस्यों को आमंत्रण पत्र जारी करना था इस मामले में हमें आमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुए जैसा कि कानून के अन्तर्गत उपबन्ध किया गया है। अतः यह संयुक्त बैठक अवैध तथा गैर-कानूनी है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**not recorded.

श्री शंकर घोष (पश्चिम बंगाल) : संयुक्त बैठक तभी बुलाई जा सकती है यदि राज्य सभा विधेयक रद्द नहीं करती बल्कि यह कहती है कि वह विधेयक पर विचार नहीं करेगी। यदि यह विचार नहीं करती और 6 महीने बीत जाते हैं और विधेयक पास नहीं होता तो अनुच्छेद 108 (ग) के अधीन एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यह 6 महीने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई क्योंकि लोक सभा ने इसे दिसम्बर में पास किया था। यह दिसम्बर में ही राज्य सभा में गया था और यह रद्द कर दिया गया। अतः अनुच्छेद 108 (ग) को कानूनी तथा वैध रूप से संयुक्त बैठक पर लागू नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा 108 (क) भी लागू नहीं होती क्योंकि राज्य सभा ने विधेयक को रद्द नहीं किया। राज्य सभा ने विधेयक पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। यह एक कानूनी प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय महान्यायवादी से परामर्श लेकर निर्णय लें। सब ठीक नहीं; सम्पूर्ण प्रक्रिया ठीक नहीं है।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : हमें राष्ट्रपति से आमंत्रण पत्र प्राप्त हो गये हैं। परन्तु संसद सदस्यों को प्राप्त आमंत्रण पत्रों की भाषा उन आमंत्रण-पत्रों की भाषा से कुछ भिन्न है जो हमें प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र अर्थात् बजट सत्र के समय प्राप्त हुए थे। यद्यपि इसमें सबसे ऊपर 'आमंत्रण पत्र' शीर्षक दिया गया है हमें राष्ट्रपति का एक आदेश दिया गया है। अतः इस मामले में कुछ अनियमित प्रतीत होती है।

हमें किसी प्रकार के आमंत्रण-पत्र मिलने से पूर्व ही सभा में संयुक्त बैठक की सूचना दी गई थी। यह सरकार राष्ट्रपति को यह परामर्श देने में गुमराह करने के लिये उत्तरदायी है जो 1961 में अपनाई गई संवैधानिक परम्पराओं के विपरीत है।

इसके अलावा इस विधेयक के बारे में भी एक रुचिकर बात है। विधेयक का खण्ड 5 बेंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश 1977 से सम्बन्धित है और इसमें यह कहा गया है कि इस अध्यादेश का एतद्-द्वारा निरसन किया जाता है। हमें राष्ट्रपति द्वारा उस खण्ड पर विचार करने के लिये कैसे कहा गया है जो एक ऐसे अध्यादेश से सम्बन्धित है जो रहा ही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977, 26 दिसम्बर को समाप्त हो गया। ऐसा कोई अध्यादेश है नहीं। यह कानून के अधीन समाप्त हो गया है।

राष्ट्रपति ने एक ऐसे मामले पर, जो है ही नहीं, एक ऐसे कानून पर, जो व्यपगत हो गया है और अनुच्छेद 123 के अधीन समाप्त हो गया है, विचार करने के लिये दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाई है। सरकार की ओर से यह संविधान के प्रति धोखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब कोई ऐसा अध्यादेश है जिसे निरसन करने के लिए सभा बुलाई गई है। यदि नहीं है, तो अध्यक्ष को यह सभा भंग घोषित करनी चाहिये, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

आम प्रथा यह है कि जब दूसरी सभा द्वारा अध्यादेश रद्द किया जाता है तो उसपर पुनर्विचार किया जाता है। प्रधान मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये कि हमने इसे रद्द नहीं किया, बल्कि हमने इस पर विचार करने से इन्कार किया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष को अपना विनिर्णय देना है कि राज्य सभा इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए दूसरे सदन को नहीं भेजा जाना चाहिए था।

सरकार को तभी संयुक्त बैठक की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी जबकि राज्य सभा ने 8 दिसम्बर को इसे अस्वीकृत कर दिया था और यह विधेयक पेश करने हेतु राज्य सभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उप-चुनावों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : इस संयुक्त बैठक के बारे में एक मुख्य त्रुटि है। यदि हम इस त्रुटि को दूर नहीं करेंगे तो यह संयुक्त बैठक अनावश्यक अवैध और गैर-कानूनी बन जायेगी।

अनुच्छेद 108 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दोनों सभाओं को एक संयुक्त बैठक में मिलाने के लिए आमंत्रित करने के अपने इरादे को अधिसूचित करना चाहिए। ऐसा तब भी किया जा सकता है जबकि दोनों

सभाओं का सत्र चल रहा हो। किन्तु पहला आदेश या पहली अधिसूचना आमंत्रित करने के बारे में होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि वह संदेश कहां है जिसके द्वारा राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। अनुच्छेद 108(1) की शर्तों के अनुसार इसके लिए एक पृथक संदेश भेजा जाना चाहिए था।

श्री सी० एम० स्टीफ़न (इदक्की) : कल अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की "कि सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित रहेगी और संयुक्त सत्र में मिलेगी तथा संयुक्त सत्र के पश्चात अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो जायेगी" इस घोषणा से कठिनाईयां उत्पन्न हो गई। लोक सभा का सत्र तथा संयुक्त सत्र साथ साथ नहीं चल सकते। संयुक्त सत्र पृथक रुप से बैठना चाहिये और उसका लोक सभा या राज्य सभा के सत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। अनुच्छेद 108 (5) का यही सिधान्त है।

यदि संयुक्त बैठक का लोक सभा तथा राज्य सभा के सत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर आम लोक सभा की 11 बजे कैसे बैठक हुई है। उनका कहना यह है कि लोक सभा इस मामले पर राज्य सभा के सदस्यों से मिल रही है। लोक सभा अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार मिल रही है। यह कोई संयुक्त बैठक नहीं है। यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक नहीं है। यह संयुक्त बैठक यहां नहीं हुई है। संविधान में इसके लिए कोई उपबन्ध नहीं है। अतः यह बैठक अवैध है।

(एक माननीय सदस्य मंच पर आए)

An honourable member came to the stage.

अध्यक्ष महोदय : पहली आपत्ति यह उठाई गई है कि जब दोनों सदनों का सत्र चल रहा है तो फिर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। मेरी राय में इस कथन में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 108 के उपखंड (3) में विशिष्ठ रूप से यह कहा गया है कि "राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना जारी करने की तिथि के पश्चात किसी भी समय अभिसूचना में निर्धारित उद्देश्य के लिए संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिये दोनों सदनों को आमंत्रित कर सकता है" और यदि वह ऐसा करता है तो सभा तदनुसार बैठेगी। प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण पत्र भेजे गये हैं। इसलिये दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक कानूनी ढंग से बिठाई गई है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि केवल आमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं और उसमें अनुच्छेद 108 के उपखण्ड (3) द्वारा निर्धारित राष्ट्रपति के इरादे की अभिव्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे गलत ढंग से समझा गया है कि राष्ट्रपति ने पहले संयुक्त सभा बुलाने का इरादा अभिव्यक्त किया और उसके पश्चात् उन्होंने संयुक्त बैठक का आदेश दिया है। ऐसा सोचा गया है कि अनुच्छेद के आवश्यक उपबन्ध का अनुसरण नहीं किया गया है। मेरी यह राय है कि अनुच्छेद 108 के आवश्यक उपबन्ध का पूरी तरह पालन किया गया है।

यह कहना कि इस बारे में भेजे गए आमंत्रण पत्र में शब्दावली 1961 में भेजे गए आमंत्रण पत्र से भिन्न है संगत नहीं है। वास्तव में तथ्य यह है कि पहले के आमंत्रण पत्र में शब्दावली उचित नहीं समझी गई इसीलिए नई शब्दावली का उपयोग किया गया।

अन्य तर्क यह है कि राज्य सभा ने विधेयक को रद्द नहीं किया है। इस विधेयक में कोई विशेषता नहीं है। जब उसने विधेयक पर विचार करने से मना कर दिया तो इसका कानूनी पहलू यही है कि विधेयक को रद्द कर दिया है।

यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने के लिए गलत सलाह दी गई है और उनका आदेश अवैध है। यह मेरे निर्णय का प्रश्न नहीं है। यह निर्णय करना न्यायालय का काम है।

फिर एक बात यह भी कही गई कि लोक-सभा कल, आज 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हो गई थी। अतः यह बैठक लोक सभा के ही क्रम में समझी जाए। मेरे आदेश का यह अर्थ लगाना गलत है। अपने उस आदेश में मैंने कहा था कि लोक सभा सदस्य संयुक्त बैठक के लिए मिलेंगे।

माननीय वित्त मंत्री : .(व्यवधान)... श्री माधवन कृपया अपने स्थान पर बैठिये मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(व्यवधान)**

श्री के० के० माधवन : व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मेरा अधिकार है। आप किसी सदस्य को कैसे रोक सकते हैं।

(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं—(**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं कभी भी अनावश्यक रूप से व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाता—(**व्यवधान**)

श्री के० के० माधवन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह बैठक पूर्व वक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण आरम्भ से ही गैर-कानूनी है। न केवल यह बल्कि क्योंकि आमंत्रण पत्रों की वैधता और संवैधानिकता को ही ललकारा गया है इसलिए यह संयुक्त बैठक है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा विनिर्णय लागू होता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सदनों की संयुक्त बैठकों पर लागू होने वाले नियमों के अधीन ऐसी किसी संयुक्त बैठक में सभा की प्रक्रिया ऐसे रूप-भेदों और संशोधनों सहित लागू होंगे जो अध्यक्ष आवश्यक अथवा उचित समझे। विधेयक को पास करने की प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं अर्थात् पुरःस्थापन, विचार और इसे पास करना। हम इस समय विधेयक पर सीधे विचार करने के चरण में हैं जबकि विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति सभा से नहीं ली गई है जो नियमानुसार नितान्त आवश्यक है।

राज्य सभा में विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका है। अतः जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 120 के अधीन इसे विधेयकों की पंजी में से हटा दिया गया था। अतः राज्य सभा में यह विधेयक लम्बित नहीं है। जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है यह विधेयक पास हो चुका है उसके बाद ही उसे राज्य सभा को भेजा गया। अतः लोक सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करनी है। यह विधेयक सभा अर्थात् लोक सभा या राज्य सभा में लम्बित विधेयकों की परिभाषा में नहीं आता है। विधेयक को सभा पटल पर रख देने से ही इस पर सभा न कोई कार्रवाई कर सकती और न विचार कर सकती है। यदि हम विधेयक को औपचारिक रूप से पुरःस्थापित किए बिना उस पर विचार आरम्भ कर दें तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए।

श्री भूपेश गुप्त : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध श्री एच० एम० पटेल के प्रस्ताव से है। अपने प्रस्ताव में उन्होंने हमसे सितम्बर 1977 के अध्यादेश का निरसन करने का अनुरोध किया है। क्या मंत्री महोदय के लिए एक ऐसे अध्यादेश या कानून का निरसन करने के लिए संसद से कहना उचित है जो अस्तित्व में ही नहीं है? यह अध्यादेश लोक सभा के पिछले वर्ष के अन्तिम सत्र में रखा गया था। इस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए एक विधेयक पास किया गया। पारित किया गया विधेयक राज्य सभा में आया। राज्य सभा ने 8 दिसम्बर को उसे अस्वीकार कर दिया। जिस दिन लोक सभा में यह अध्यादेश रखा गया था उसे पहला दिन मान कर चलें तो छः सप्ताह तो पूरे हो चुके हैं। अतः अनुच्छेद 123 के अधीन यह सितम्बर 1977 तक तथाकथित विधेयक जिसे संसद के अधिनियम का दर्जा दिया जाना है व्यपगत हो चुका है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

अध्यक्ष महोदय : एक बात यह कही गई है कि विधेयक को पहले सभा में पुरःस्थापित किया जाये तब बाद में उस पर विचार हो सकता है। लगता है कि इसके पीछे यह भावना है कि यह नया विधेयक है। सभा के समक्ष विचार के लिए लाये गये विधेयक में अनुच्छेद 108 के अधीन दो प्रक्रम है एक तो विचार दूसरा उस पर मतदान। पुरःस्थापन का उसमें प्रक्रम नहीं है। लेकिन यह एक नया विधेयक नहीं है। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

एक अन्य बात यह कही गई कि 19 सितम्बर 1977 को पास किया गया अध्यादेश तक लागू नहीं है और यह विधेयक पास करना व्यर्थ है। लेकिन यह धारणा भी ठीक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के बारे में व्यवस्था दी गई है। अध्यादेश लोक सभा में 18 नवम्बर 1977 को रखा गया था अर्थात् लोक सभा की बैठक होने के छः सप्ताह के भीतर। अतः यह अनुच्छेद 123 के उप अनुच्छेद (2) के अधीन वैध है। ऐसा कोई संकल्प पास नहीं किया गया और यह विधेयक नियमानुसार है।

बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक
BANKING SERVICES COMMISSION (REPEAL) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक पर लोक सभा द्वारा पारित किन्तु राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत रूप में पर्यालोचन केप्रयोजनार्थ विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर लोक सभा ने 5 दिसम्बर 1977 को विचार किया और इसे पारित किया। किन्तु राज्य सभा ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया और 8 दिसम्बर 1977 को उसे अस्वीकृत कर दिया।

सरकार का यह दृढ़ विचार रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एकल केन्द्रीकृत भरती अभिकरण के द्वारा कर्मचारियों की भरती किए जाने से भरती की प्रक्रिया अकुशल अनियंत्रित और बोझिल हो जायेगी और इसके इस क्षेत्र की बैंकों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इस प्रणाली से बैंकों के नियोजन में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर समाज के अधिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का न्यायपूर्ण और संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

अधिकांश अधिकारियों की भरती लिपिकों से चयन द्वारा की जाती है। अतः आरम्भ से ही लिपिकों की भरती की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हमें आरम्भ से ही अधिकारी बनने के लिए होनहार लिपिक मिल सकें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक करें हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी प्रदेशों और भाषा समूहों के लोगों को भरती का अवसर मिले। इस समय देश में बैंकों की 11,000 शाखाएं हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। हमें इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि ग्रामीण शाखाओं में ऐसे लिपिक और अधिकारी रखे जाएं जो उस क्षेत्र की भाषा को अच्छी तरह जानते हैं। यह केवल विकेन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा ही किया जा सकता है।

सरकार ने इसी ध्येय से बैंककारी आयोग अधिनियम, 1975 का निरसन करने का निर्णय किया है। चूंकि इस विषय पर दोनों सभाओं में सहमति नहीं हुई अतः यह संयुक्त सत्र बुलाया गया है।

बैंकों में प्रतिवर्ष 15,000 से 20,000 लिपिकों और 1,500 से 2,000 अधिकारियों की भरती की जाती है। लिपिकों की यह संख्या अगले पांच वर्षों के समय में लगभग 40,000 प्रति वर्ष हो जायेगी। केन्द्रीयकृत व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पर कार्य नहीं कर सकती और इस बात का भी आश्वासन नहीं होता कि सभी रिक्तियां समय पर भर दी जायेंगी।

लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि यह विधेयक बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के लिए आरम्भिक कदम है। किन्तु यह सही नहीं है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का सरकार का कोई

इरादा नहीं है हम इस बात के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं और बैंकों से अधिक से अधिक मात्रा में ऋण अब तक उपेक्षित लोगों को मिले।

हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि बैंक कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। हमारी भरती की प्रणाली भी स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। केन्द्रीकृत भरती की प्रणाली द्वारा बैंकों में नियुक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, के लोगों को पर्याप्त मात्रा में लेना सम्भव नहीं है। केवल विकेन्द्रीकृत प्रणाली से ही ऐसा किया जा सकता है। हमें यह मानना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग सीमित क्षेत्र के लोगों, सीमित शिक्षा संस्थाओं, से ही भरती करता है। हम चाहते हैं कि बैंकों में सभी प्रदेशों और भाषा क्षेत्रों के व्यक्ति हों। यह केवल विकेन्द्रीकृत प्रणाली से ही हो सकता है।

सरकार द्वारा गठित बैंकरों की एक समिति ने भरती की एक वैकल्पिक कार्यविधि सुझाई है। इसके अनुसार बैंकों के समूह, जिनका प्रदेश में मुख्यालय होगा एक सामूहिक भरती व्यवस्था कायम करेंगे। इस प्रणाली से सामूहिक भरती के भी लाभ होंगे और विकेन्द्रीकरण के भी। बैंकों के सात समूह होंगे और कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, दिल्ली, और बम्बई के केन्द्रों में भरती की जायेगी। उप-केन्द्र भी बनाये जायेंगे। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन बोर्डों को सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगी।

इसके लिए सांविधिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। रेल सेवा आयोग भी सांविधिक निकाय नहीं है। इन भरती बोर्डों से हमारी बैंकों में उचित और निष्पक्ष रूप में भरती करने और सभी प्रदेशों के उम्मीदवारों को भरती के लिए अवसर देने का मूल उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

यह आरोप लगाया गया है कि भरती बोर्डों की प्रणाली इसलिए बनाई गई है कि शासक दल के लोगों को प्रश्रय दिया जा सके। किन्तु अध्यादेश द्वारा बैंककारी सेवा आयोग को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी करते समय केवल अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सोचा गया था, इस बारे में नहीं कि इसका गठन कैसा होगा, इसके कृत्य क्या होंगे। अतः यह आरोप बिल्कुल निराधार है। हम यह महसूस करते हैं कि बैंकों जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों में केवल यही आवश्यक नहीं है कि भरती निष्पक्ष हो बल्कि इसे ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। इसीलिए स्वतन्त्र नियुक्ति बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित भरती बोर्डों के अध्यक्ष प्रख्यात व्यक्ति होंगे और सदस्य बैंकिंग, लेखा कार्य, प्रबंध आदि में अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। बोर्ड के रोजमर्रा के कार्य में बैंकों के प्रबंधक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इस प्रकार भाई-भतीजावाद और कदाचार की कतई गुंजाइश नहीं होगी। हमारा मत है कि यह विकेन्द्रीकृत प्रणाली ही सबसे उपयुक्त है। उम्मीदवार अपने लिए बैंक चुन सकेंगे और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को अखिल भारतीय स्तर पर पदोन्नति के लिए भी अवसर मिलेगा। इस प्रणाली में खर्च कम होगा और स्थानीय व्यक्तियों में से भरती की जा सकेगी।

अब मैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बैंककारी सेवा अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित किन्तु राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत रूप में विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले सदस्य को बुलाने के पहले यह बता देना चाहता हूं कि नेताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि विधेयक के लिए कुल छः घंटे नियत किए जाएं: इसमें से जनता पार्टी को 156 मिनट, जिसमें वित्तमंत्री का भाषण भी शामिल है, कांग्रेस (आई) को 43 मिनट, कांग्रेस को 35 मिनट, सी० पी० आई० (एम०) को 10 मिनट, ए० आई० एं० डी० एम० के० को 8 मिनट, सी० पी० आई० को 5 मिनट दिए गए हैं। और शेष को भी कुछ समय दिया जायेगा। अब मैं श्री कमलापति त्रिपाठी से भाषण देने का अनुरोध करता हूं।

SHRI KAMALAPATI TRIPATHI (U.P.) : Mr. Speaker, Sir, I want to oppose this Bill. This Bill is retrogade and reactionary. It has a political bias. This Bill has been introduced with an idea if not to reverse then at least check the smooth flow of the process than had developed after the nationalisation of the banks.

The Janata Government have made three big attempts to undo this measure. The Banking Service Commission Bill was enacted in 1975 and a Chairman of the Commission was appointed. To undo this measure, the Janata Party first issued an ordinance. There after a Banking Service Commission (Repeal) Bill was passed by the Lok Sabha. It was a second attempt. But the Rajya Sabha rejected this Bill. Now this is a third attempt when a Joint Session of both the houses has been called to get it passed on the strength of their majority. Such a big attempt is not necessary. It would have been better if the Government had allowed to get this (Repeal) Bill, whch had been rejected by Rajya Sabha, repealed.

In 1969 there was a split in Congress over some issues and the nationalisation of the banks was the main issue among them. Some persons within and outside the Congress opposed this measure. Inspite of all this the banks were nationalised.

There were certain motions underlying the nationalisation of banks. We were of the view that the capital deposted in the banks did not belong only to a few industrial families and monopolists, but the farmers, teachers, lawers and small industrialists had also deposited their money in the banks and as such the capital of the bank was the property of the whole nation. Our objective was that this money should be utilised for furthering the welfare schemes. Before nationalisation only 20-24 families had their control and monopoly over the banks and they were utilising the money for their own benefit. We wanted to rid the banks from their hold and to help the farmers, small industrialists, cottage and rural industries and students. It were they who wanted to stand on their fee and were in need of some help in the form of bank loans etc. Thus we could help removing poverty by creating more employment opportunities and helping people to stand on their feet who could make attempt to improve their standard of living by raising their income through increased production.

We worked with their objective for 4 or 5 years. But it was found that those who had been in control of the banks from pre-nationalisation period and the management that had continued from that time had not been able to change their earlier views and therefore they were not able to implement the new objectives. In this situation it was considered necessary that a Banking Service Commission should be formed so that nepotism and favouritism did not play its foul game in the services of the banks and persons having progressive ideas were recruited. With this objective in view, the Banking Service Commission Act came into existence and a Commission was appointed. Our attempts were to take away the power of recruitment in the banks from the monopoly houses and vest it in this impartial agency.

Moreover the notion of service commission is not novel for the country under the Constitution we appoint Service Commission. We are already having Union Public Service Commission the State Public Service Commissions and the Railway Service Commissions as well. True though it may be that Railway Public Service Commissions are not statutory bodies but in making recruitment of local people through decentralised method of recruitment they have been functioning very effectively. Banking service commission as already stated, was set up with the objective of recruiting persons having progressive ideas who could implement the policies underlying bank nationalisation. But through this (Repeal) Bill, the Janata Government want to vest the power of recruitment again in the hands of

those few people who still have some say in the affairs of the banks. It is thus a reactionary measure nd wuld retard the progress of the country. We had opposed this Bill in the Rajya Sabha and we still oppose it.

श्री आर० आर० मोरारका (राजस्थान) : अध्यक्ष महोदय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और तत्कालीन सरकार ने 1975 में बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार विधेयक प्रस्तुत किया। फिर भी फररी, 1977 तक इसकी कार्यान्विति नहीं हुई। तब चुनावों की घोषणा हुई और जल्दी में उन्होंने आयोग का गठन किया। किन्तु आयोग ने अपना कार्य नहीं किया है अतः राज्य सभा के विरोधी दल के माननीय नेता की यह कोरी कल्पना है कि भरती की नीति को क्षति पहुंचेगी और सभी बैंक फिर एकाधिकारी सदनों के आश्रय में चले जाएंगे। जब उपर्युक्त माननीय नेता सरकार में थे तब उनके दल का एकाधिकारी सदनों पर काफी अनुग्रह था और वस्तुतः उन्होंने इन सदनों को शक्तिशाली बनाया और प्रोत्साहित किया।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है कि रेल सेवा आयोग उचित रूप में कार्य कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने इस तर्क के समर्थन में कि विकेन्द्री करण बैंकों के हित में होगा इसी बात का उल्लेख किया है। माननीय वित्त मंत्री की यह योजना निश्चय ही देश में बैंकों के हित में होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें।

तत्पश्चात् संयुक्त बैठक 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई (दोपहर के भोजन के लिए)
संसद के सदनों की संयुक्त बैठक दोपहर के भोजन के बाद 14.00 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोरारका अपना भाषण पुनः आरम्भ करें।

श्री आर० आर० मोरारका : मैं कह रहा था कि प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत भरती बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अधिक कारगर और प्रयोजनपूर्ण ढंग से पूरा कर सकते हैं। केवल यही नहीं सरकार ने यह निर्णय किया है कि जून, 1978 के अन्त तक प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में बैंक खोल दी जायेगी। इस ग्रामीण सम्मान के कारण यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी भरती नीतियाँ अपनाएं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करें।

राष्ट्रीयकरण के समय यह परिकल्पना की गई थी कि बैंकों का अपना पृथक अस्तित्व होना चाहिए इसीलिए सभी बैंकों का अलग इकाई बनाए रखा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य सराकारी क्षेत्र के निगम ने केन्द्रीकृत भरती नीति अपनाई है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम, भारतीय कोयला निगम, इस्पात संयंत्र आदि का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है। किन्तु इनमें से किसी ने भी केन्द्रीकृत भरती नीति नहीं अपनाई है इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ही एक केन्द्रीकृत भरती निगम या आयोग की स्थापना क्यों की जाये।

4 दिसम्बर को राज्य सभा में वाद विवाद के दौरान श्री भूपेश गुप्त ने कहा था कि भरती नीति ऐसी होनी चाहिए कि गरीब वर्गों और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले और यह तर्कसंगत तथा निष्पक्ष होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है उससे ये अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। वष के अन्त में इन वोर्डों की रिपोर्ट संसद के सामने पेश की जानी चाहिए ताकि माननीय सदस्यों को उनकी जांच करने का अवसर मिल सके।

माननीय वित्त मंत्री के अनुसार बैंकों में लिपिकों की भरती लगभग पांच वर्ष बाद प्रतिवर्ष 40,000 तक पहुंच जायेगी। एक आयोग के लिए इतना कार्य बहुत अधिक है। यह विकेन्द्रीकरण के लिए एक और औचित्य है।

राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह था कि बैंक कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रहे थे। किन्तु यह उद्देश्य उस सीमा तक पूरा नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। किन्तु अब जो उपाय किया जा रहा है उससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वास्तविक उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : बैंकों के लिए लोक सेवा आयोग स्थापित करने का सुझाव बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत नहीं था। बैंककारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। भरती की प्रणाली के लिए प्रयास का अर्थ विकेन्द्रीकरण नहीं होगा। यदि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा किया जाना है तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि राष्ट्रीयकरण से हमारा क्या अभिप्राय था। यह बैंक व्यवस्था का, बैंक के कर्मचारियों का राष्ट्रीयकरण था। बैंकों में किस प्राकार के लोग भरती किये जायें, इसका आधार अनुभव हो सकता है, शैक्षिक योग्यताएं नहीं। वस्तुतः सरकार की कठिनाई बैंकों में पहले से कार्य कर रहे लोगों के दृष्टिकोणों के बदलने के बारे में है।

राष्ट्रीयकरण के समय हमने इस बारे में बहुत कुछ कहा था कि प्रतिभूति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वह प्रयोजन जिसे पूरा किया जाना है। किन्तु आज भी बैंक प्रतिभूति मांगते हैं और प्रयोजन को अधिक महत्व नहीं देते। भरती के बारे में सरकार को बैंक प्रबन्धकों और कर्मचारी संघों से परामर्श करना चाहिए था क्योंकि राष्ट्रीयकरण के समय सभी कर्मचारी संघों का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ था और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कार्य के लिए वे सभी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पहली बार शिक्षा प्राप्त हो रही होती है। वे ऐसे उम्मीदवारों से कैसे प्रतियोगिता कर सकते हैं जो शहरों से आते हैं और उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां प्रयोगशाला और पुस्तकालय की सुविधाएं हैं। मैं नहीं समझता कि यदि ग्रामीण लोगों के लिए कार्य करने के लिए ग्रामीण लोगों से ही भरती करनी आवश्यक है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना होगा।

इस अधिनियम में यह अच्छी बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षण किए गए हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक आदेश आवश्यक होंगे। प्रशासनिक आदेश में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस प्रकार की भर्ती की जायेगी और किस प्रयोजनार्थ की जायेगी। इस मामले में बैंक प्रबन्धकों के अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिये था। इस बात की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बैंकों का दलीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ग्राहकों पर भी अनावश्यक रूप से दबाव डाला जा सकता है। इन बातों की ओर आपको तुरन्त ध्यान देना होगा।

भर्ती के बारे में आपका सुझाव व्यवहार नहीं है क्योंकि बैंक अब प्रादेशिक नहीं रह गये हैं अपितु देश के सभी क्षेत्रों में उनकी शाखाएं हैं और कुछ बैंकों को मिलाकर क्षेत्रीय बोर्ड का गठन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार में भर्ती करनी हो तो कैसे की जाएगी। बैंकों में वेतन मान अच्छे होने के कारण आवेदन पत्र बहुत ही अधिक आते हैं। अतः कर्मचारियों की भर्ती करने में किस बोर्ड की सहायता ली जायेगी।

बैंकों ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि वे अपने आप को समय के अनुसार बदलें। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों के विरुद्ध यह शिकायत नहीं थी कि वे कुछ लोगों की सहायता करते हैं अपितु उनके विरुद्ध यह शिकायत थी कि वे बहुत से लोगों को ऋण नहीं देते हैं। आज भी वही हो रहा है। अब समय आ गया है जबकि हमें इस बात की पुनरीक्षा करनी चाहिये कि बैंक प्रणाली को अधिक उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने विकेन्द्रीकरण के बारे में तरक दिये हैं। विकेन्द्रीकरण में इस प्रकार की संस्थाएं कागज पर ही काम कर सकती हैं परन्तु इससे प्रयोजन पूरा नहीं होगा। यह अनावश्यक है कि एक अखिल भारत नीति निर्धारित की जाये। यह अच्छी बात है कि सरकार ने रिजर्व बैंक तथा कुछ अन्य बैंकों से परामर्श करने का निश्चय किया है अपितु अधिक व्यापक स्तर पर परामर्श किया जाना चाहिये। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो यह काम संभाल सकें और लोगों के साथ अच्छी तरह मिलजुल सकें। अतः एक अखिल भारतीय संस्थान के अस्तित्व से अथवा उसका सात बोर्डों में विभाजन करने से कोई

लाभ नहीं होगा जब तक कि इस बात की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की जाती कि इस उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जायेगा। सरकार को विपक्ष, इस देश की जनता, सभी बैंकों, बैंकों के कर्मचारियों, आदि को इस सम्बन्ध में राय लेनी चाहिये कि प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रणाली सब से उत्तम होगी। इस देश में शक्तिशाली बैंक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। राष्ट्रीयकरण का यही स्वप्न था किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली है।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Gajipur) : Mr. Dy. Speaker, I support the bill presented by Finance Minister . The leader of the opposition in Rajya Sabha Shri Kamlapati Tripathi was the first to take part in this Debate. He has termed this measure as a reactionary and a retrograde step but it is well known to everybody how he has changed his colour now because he has now altered the entire meaning of progressivism. He has all along been supporting monopoly houses but today he has become alergic to monopoly houses.

It is quite evident that no action had been taken till 1977 to implement the Banking Commission's Report as a result of which a legislation was enacted in 1975. Neither a Committee was set up, nor a Chairman or a Secretary could be nominated. No rules were framed during the period of two years.

The present Janata Government has decided to decentralise the administration of banking industry and seven centres are proposed to be set up to recruit staff. I suggest that it should be further decentralised and one centre should be set up in each state or in each district headquarters. The entire administration and the recruitment in banking industry should be decentralised to fulfil the hopes and aspirations of the people. The Janata Government deserves thanks that they have fixed the credit-deposit ratio to the minimum of 7 per cent for the first time. The present Government has for the first time reshaped the structure. They have also fixed a ceiling that it will not go higher than 10½ per cent. No interest will be charged on the amounts advanced to weaker sections and neglected sections in rural areas and the amount spent on tubewells, pumping sets, poultry and animal husbandry.

The Janata Party is committed to decentralisation in every field of administration. This Bill is a most practical and utilitarian measure and the out moded method of working of bureaucracy must be changed in a developing economy. To bring about uniformity, guidelines should be laid down to recruit staff. Efforts should be made to ensure that people of lower classes are also benefited. All of us should support this measure which aims at decentralisation of recruitment in banks.

श्री पी० राममूर्ति (तमिल नाडु) :उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस विधेयक को प्रतिक्रियावादी बताया है। मैं नहीं जानता कि आप प्रतिक्रियावादों का अर्थ समझते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस देश में एकाधिकारवादियों के हाथों में धन का जमाव बढ़ गया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं। वर्तमान सामाजिक आर्थिक ढांचे में यदि 2000 रिक्तियां हों तो उनके लिए 21/2 लाख आवेदन पत्र आयेंगे। इस ढांचे के अन्तर्गत अगर बैंकों में नियुक्तियां की जानी हैं तो यह नियुक्तियां कैसे की जायेंगी और किसके द्वारा की जायेंगी। यही साधारण सी बात संसद के समक्ष है और इस विधेयक में हम इसी पर वाद-विवाद कर रहे हैं।

पहले विधेयक में यह व्यवस्था थी कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार एक केन्द्रीय आयोग को दिया गया था। वह एक केन्द्रीय आयोग देश भर के लोगों की कैसे नियुक्ति करता, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। न्याय कैसे किया जाता, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई है। अतः विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है अपितु, विकेन्द्रीकृत बोर्ड की नियुक्ति उपयुक्त नहीं है।

जहां तक बोर्डों की नियुक्तियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में विशिष्ट नियम बनाये जायें कि प्रत्येक श्रेणी में चाहे वह क्लर्कों की श्रेणी हो अथवा कनिष्ठ अधिकारियों की श्रेणी हो, उसमें हरिजनों तथा समाज के

कमजोर वर्गों के लिए कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें। सांविधिक रूप से इसे निर्धारित किया जाना चाहिये। दूसरे, इन सांविधिक निकायों का गठन इन बैंकों के प्रबन्धकों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिये और इन्हें केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकारों के हाथ में रखा जाना चाहिये। राज्य सरकारों से इस मामले में परामर्श किया जाना चाहिए। मजदूर संघों जैसे कुछ सार्वजनिक निकायों से परामर्श किया जाना चाहिये और इस आधार पर वास्तव में योग्य तथा स्वतंत्र लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

यह परीक्षण सफल होगा अथवा नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। इस प्रश्न पर बिना किसी राजनीतिक मतभेद के विचार किया जाना चाहिये और ऐसा करते समय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये और इस आधार पर न केवल कनिष्ठ अधिकारियों अपितु वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी एक भर्ती नीति बनाई जानी चाहिये। इस बारे में अवश्य कुछ किया जाना चाहिये। केवल भर्ती के मामले में ही भाई-भतीजावाद नहीं चलता अपितु पदोन्नति के मामले में भी चलता है। अतः इन सभी मामलों में भाई भतीजावाद और पक्षपात को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से हमारे दल ने इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय किया है क्योंकि विकेन्द्रीकरण से कुछ हद तक लाभ होगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the opposition to this Bill which has emanated from some sections of the House is something that cannot be understood because it is a very simple and innocuous measure. The leader of the opposition in Rajya Sabha has called it retrograde and reactionary but if it is so, he should explain what are the progressive features of the old legislation that was enacted.

The Banking Commission submitted their report in 1972 and suggested the formation of a Central Commission for recruitment but no action was taken till June, 1974 and it was in August, 1975 that a legislation was enacted and only a chairman, a retired ICS, was appointed on 1st February, 1977 and thereafter this Commission has been in hybernation and it has not been able to do anything for the reason that here was a change in the Government and the people of the country decided otherwise.

आई० सी० एस० के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को चेयरमैन नियुक्त किया गया परन्तु आपका वह सेवा आयोग कहां है। कानून तो अगस्त 1975 में बनाया गया किन्तु 21 फरवरी, 1977 को एक सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी की नियुक्ति की गई। यदि बैंक कर्मचारियों के लिए भर्ती आयोग स्थापित करने के लिए बनाये गये कानून में कुछ भी प्रगतिशील नहीं था तो प्रगतिवाद कहां पर है? इस आयोग के नौ सदस्य हैं किन्तु एक की भी नियुक्ति नहीं की गई है। केवल चेयरमैन की नियुक्ति की गई और वह भी 21 फरवरी, 1977 को। मैं राज्य सभा में विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों के लिए भर्ती आयोग की स्थापना करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें प्रगतिवादी कुछ भी नहीं है। हर वर्ष 2,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और अगले पांच वर्षों में इनकी संख्या 40,000 हो जायेगी। श्री पै ने बताया कि 2,000 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन-पत्र आते हैं और आयोग को हर वर्ष 20,000 लोगों की भर्ती करनी होगी जिसके लिए 25 लाख आवेदन-पत्र आयेंगे और आप यह काम दिल्ली में 8 सदस्यों के एक आयोग से करना चाहते हैं। यह प्रगतिवाद नहीं है। हमने उनका विकेन्द्रीकरण करने का निश्चय किया है। हम एक केन्द्रीय आयोग नहीं चाहते हैं। हम विकेन्द्रीकृत भर्ती निकाय बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

विरोधी नेता के अनुसार यह प्रतिक्रिया है। अतः यह स्पष्ट है कि गतशील दशक के गत 10 वर्षों में शब्दों के अर्थ नहीं रहे और उन्हें तोड़ा-मरोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी नेता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण के माध्यम से जो कुछ किया था हम उसका उल्टा कर रहे हैं। कह कहना ठीक नहीं है कि प्रधान मंत्री ने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। 1948 में जब तथाकथित इस देश के बड़े समाजवादी राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे और जब इस देश में राज्य परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, उस समय श्री मोरारजी देसाई ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बम्बई राज्य में सड़क परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विरोध करने वाले निहित स्वार्थों को रोका।

राज्य सभा में विरोधी पक्ष के ताने यह कहते रहे हैं कि एकाधिकार गृहों को नहीं पनपने देंगे किन्तु हुआ इसके प्रतिकूल। 1969 और 1975 के बीच जब देश में तत्कालीन सत्तारूढ़ दल ने प्रगतिशील कदम उठाये तो देश में 21 एकाधिकारी गृहों की आस्तियां 2500 करोड़ रुपये से बढ़कर 4500 करोड़ रुपये हो गईं। हम इसे समाप्त करेंगे। हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

हम ग्रामीण क्षेत्रों में धन ले जाना चाहते हैं। मार्च, 1977 तक तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब से गरीब लोगों से धन एकत्रित किया और वह उस सारे धन को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास और अन्य बड़े शहरों में ले आये। हमारी नीति यह है कि सारी राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाये ताकि इन क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडीचेरी) : मेरे नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन इस मामले पर सरकार का समर्थन करते हैं। हम किसी 'वाद' के समर्थन नहीं हैं। हम नारेबाजी में विश्वास नहीं रखते, इस सरकार को शेष अवधि के लिए बने रहने दिया जाये जिसके लिए इस देश के लोगों ने उन्हें सत्ता प्रदान की है।

मेरे विचार में बैंकिंग सेवा आयोग का निरसन करके सरकार देश में कोई भारी आश्चर्यजनक काम नहीं कर रही है। परन्तु हम इस समय सरकार के साथ हैं।

हमने पिछले सत्तारूढ दल का 30 वर्ष तक बिना किसी हिचक के समर्थन किया परन्तु हमने यह नहीं देखा कि वे हैं क्या। अब जनता पार्टी को अवसर दिया गया है, विधेयक के बारे में कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। हमारा दल इस विधेयक के लिए सरकार का समर्थन करता है और यह आशा करता है कि केन्द्र इस संबंध में एक विधेयक लायेगा। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को यथाशीघ्र यह विधेयक लाना चाहिए।

हम जनता पार्टी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें 19 महीनों के बाद आजादी दी है। हम आशा करते हैं कि सरकार लोगों की मूल आर्थिक समस्याओं को हल करेगी।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) : उद्योग मंत्री ने प्रभावपूर्व वक्तव्य दिया है और वैसे ग्रामीण विकास के महत्व के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा है लेकिन उनकी पार्टी के सत्तारूढ होने के बाद से अब तक एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि माननीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं का पता लगाने के लिए सितम्बर, 1976 में एक समिति गठित की गई थी। उसने अप्रैल, 1977 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए क्या किया गया है?

उद्योग मंत्री इस विधेयक को प्रगतिशील बता रहे थे। यदि उन्होंने विधेयक पर, जिसका वे निरसन करने जा रहे हैं, विचार किया होता तो उन्हें पता चलता कि केवल आयोग ही सारे देश में क्लर्कों तथा अधिकारियों की भरती नहीं करता। इसके लिए चार क्षेत्रीय बोर्ड हैं। इस विधेयक का निरसन करने के बजाय यदि इस बारे में इस आशय का एक ही संशोधन लाया जाता कि वे चार क्षेत्रीय बोर्डों के बजाय सात क्षेत्रीय बोर्ड—एक भारतीय रिजर्व बैंक के लिए तथा 6 बोर्ड शेष भारत के लिए—बना रहे हैं तो आसमान न टूट पड़ता।

उद्योग मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस स्कीम को वे लागू कर रहे हैं, उसके अनुसार उत्तरी और मध्य भारत दोनों में ही भरती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर से भरती की जायेगी। इस समय वहां केवल 14,000 रिक्त स्थान हैं जबकि इसके विपरीत बम्बई, गुजरात क्षेत्र में 44,000 रिक्त स्थान होने की संभावना है। इन दोनों राज्यों के लोग 44,000 रिक्त स्थानों के लिए आवेदन कर सकेंगे जबकि उत्तर तथा मध्य भारत के लोग केवल 14,000 रिक्त स्थानों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। क्या यही विद्यमान भेदभाव को मिटाने का प्रगतिशील उपाय है?

वर्तमान सत्तारूढ़ दल अध्यादेशों के लिए पिछली सरकार की रोज निन्दा करता था, परन्तु अब वे स्वयं क्यों अध्यादेश ला रहे हैं? वे कुछ और समय के लिए प्रतीक्षा क्यों नहीं करते और अध्यादेश लाने के बजाय पूर्ण विधेयक क्यों नहीं लाते? सरकार आयोग में अन्य लोगों की नियुक्ति कर सकती थी। किन्तु तथ्य यह है कि वह बैंक के विद्यमान निदेशक मण्डल को शक्ति देना चाहती हैं। बैंकिंग सेवा आयोग को समाप्त करने का क्या औचित्य है?

दक्षिण राज्य में सेवारत एकक अत्यन्त महत्वपूर्ण बैंक सभी पदों पर न केवल दो या तीन जिलों से ही भरती कर रहा है अपितु वह एक विशेष जाति के लोगों की ही भरती कर रहा है। इस संदर्भ में एक प्रकार की समानता लाना आवश्यक समझा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें भाई-भतीजाबाद की कोई गुंजाइश न हो यह देखा गया है कि यदि इस काम को करने वाले व्यक्ति संसद तथा जन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हैं तो वे सदैव ठीक ही होंगे।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह सात क्षेत्रीय बोर्ड बनाना चाहते हैं। वह एक क्षेत्र विशेष से भरती को सीमित कैसे कर सकते हैं? वे बैंकों के कार्यकरण का क्षेत्र सीमित नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक और वाणिज्यिक बैंक का अपना अखिल भारतीय स्वरूप है। अतः सरकार यह कैसे कह सकती है कि वे किसी बैंक विशेष में सेवा करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष से विशेष लोगों की भरती कर रहे हैं, जबकि सारे देश में बैंक कार्य कर रहे हैं? क्या वे बैंकिंग प्रणाली की भरती नीति में कुछ समरूपता नहीं लाना चाहते। सरकार जिस स्कीम को लागू कर रही है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इससे सीमित क्षेत्रों को अधिक अवसर मिलेंगे जहां पर किसी न किसी कारणवश बैंक खुले हुए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। बैंकिंग सेवा आयोग के निरसन से स्पष्टतः विकेन्द्रीकरण होगा जो स्वायत्तता का एक अंग है। हम इस स्वायत्तता को बनाये रखना चाहते हैं। यदि बैंकिंग सेवा आयोग समाप्त कर दिया जाता है तो कोई क्षति नहीं होगी।

पिछली सरकार द्वारा बैंकिंग सेवा आयोग बनाने का वास्तविक कारण पुलिस राज को मजबूत बनाना था जो आपात स्थिति में शुरू किया गया था। भूतपूर्व तानाशाह चाहती थी कि यह आयोग आर० ए० डब्ल्यू० तथा गुप्त पुलिस की सहायता करे और उन सभी लोगों को, जिनको वे महत्वपूर्ण पद देना चाहते थे, ऐसे पदों पर आसीन करे। अतः मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि श्री प्रणव कुमार मुखर्जी ऐसा आयोग स्थापित करके भाई-भतीजावाद समाप्त किये जाने की बात कर रहे हैं।

पूर्ण व्यवस्था में समानता नहीं है। इस बैंकिंग सेवा आयोग ने स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों, विदेशी बैंकों, प्राइवेट बैंकों, औद्योगिक विकास बैंक, रिजर्व बैंक और औद्योगिक वित्त निगम को छोड़ दिया था।

चर्चा के दौरान यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ग्रामीण बैंक नही नहीं खोले गये हैं। जब बैंक स्वयं ही समूचे भारत में अपनी शाखायें खोल रहे हैं तो फिर ऐसे बैंक खोलने की क्या आवश्यकता रह जाती है। इससे पहले ग्रामीण बैंकों की संख्या बैंकों की कुल संख्या का एक तिहाई हुआ करती थी। परन्तु जनता सरकार के एक वर्ष के शासन के दौरान गांवों में खोले गये बैंकों की संख्या दो-तिहाई हो गई है। सभी निदेशक बोर्डों का पुर्नगठन किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था।

बैंकिंग सेवा आयोग 1969 तक नहीं बनाया गया था। इसकी स्थापना 1969 से 1975 तक के छः वर्षों के दौरान की गयी जिसमें बहुत से विपरीत कार्य हुए।

जनता सरकार ने आपात स्थिति के दौरान पारित किए गए एक ऐसे गलत विधेयक को ठीक कर दिया है जिसका उद्देश्य राज्य में पुलिस की शक्ति को सुदृढ़ करना और लोगों के रोजगार अवसरों में हस्तक्षेप करना था। हमने रोजगार अवसरों का समुचित ढंग से वितरण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के क्षेत्रीय समूहन की वैकल्पिक योजना भी प्रस्तुत कर दी है। इससे विभिन्न भाषा वर्गों के लोगों को बैंकों में रोजगार मिल सकेगा।

श्री देवेन्द्रनाथ द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य तब तक सही तौर से समझा नहीं जा सकता जब तक कि जनता सरकार अपनी बैंकिंग नीति, आर्थिक नीति और अपनी विचारधारा को स्पष्ट न कर दे। जनता सरकार अब तक जिस नीति को लेकर उपस्थित हुई है उसमें परस्पर कई विरोधी बातें हैं।

बैंकिंग सेवा आयोग का गठन सारैया समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था जिसकी नियुक्ति बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले की गयी थी। श्री सारैया ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तथ्य को दृष्टि में रखते हुए इस बात को समझ लिया था कि बैंक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बैंक उद्योग में कार्य करने वाले बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति को इस विचारधारा के अनुरूप होने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अतः उस समय यह सुझाव दिया गया था कि एक ऐसा आयोग बनाया जाये जोकि अखिल भारतीय स्तर के लोगों की भरती करे। अतः निष्पक्षता सोद्देश्यता, सक्षमता, व्यावसायिकता और एकरूपता के आधार पर भरती करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया।

वित्त मंत्री ने दो तर्क प्रस्तुत किये हैं। एक तो यह कि इस केन्द्रीय भरती एजेंसी से बैंकों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है और दूसरा तर्क यह दिया है कि केन्द्रीय भरती एजेन्सी बहुत जटिल है तथा उस पर नियंत्रण रखना कठिन काम है। लेकिन यह बहुत विशाल देश है। इसमें हमें अनेक ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जोकि निश्चय कठिन तथा जटिल होते हैं। इसलिए ऊपर गयी दलीलें बहुत ठोस नहीं हैं।

आपने यह भी कहा है कि आप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को ही भरती किया जाये। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न केन्द्रों पर क्षेत्रवार परीक्षा लेने की व्यवस्था की थी। अतः क्या सरकार ऐसी केन्द्रीय एजेन्सी के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती जिससे कि बैंकिंग सेवा को अखिल भारतीय सेवा का स्वरूप दिया जा सके। यदि सरकार का यही सिद्धान्त है तो फिर संघ लोक सेवा आयोग को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये। एक तरफ तो आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात करते हैं ?

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व अलग-अलग बैंक अलग-अलग वर्गों के हितों को प्रश्रय दे रहे थे। राष्ट्रीयकरण द्वारा इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया था परन्तु अब स्थिति कुछ और हो गयी है। बैंकिंग आयोग को समाप्त करके आप पहले वाली स्थिति को ही लौटा रहे हैं। इससे बैंकों का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं रह जायेगा।

परन्तु यह सरकार का यह कदम अपने तरह का अकेला कदम नहीं है। हमें इस पर विचार करते समय प्राइवेट तथा विदेशी बैंकों के बारे में सरकार के रवैये को भी ध्यान में रखना होगा।

प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जिन व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाया गया था आज उन्हीं लोगों को यह पता लगाने का काम सौंपा गया है कि क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का देश के विभिन्न भागों में विस्तार किया जाये। वस्तुतः इस तरह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भविष्य प्राइवेट बैंकों के हितैषियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। सरकार की इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अतः सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में बैंकों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए वित्त मंत्री को अपनी नीति घोषित करनी

चाहिये और बताना चाहिए कि क्या वे विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं या नहीं । सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और बैंकिंग सेवा आयोग के पुनर्गठन की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए ताकि बैंकिंग व्यवस्था अपनी भूमिका निभा सके ।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : बैंककारी आयोग जिस रूप में गठित किया गया है, हमें उससे अथवा विद्यमान अधिनियम के उपबन्धों से कोई विशेष लगाव नहीं है ? वास्तव में इस अधिनियम में कुछ ऐसा सुधार किया जाना चाहिये ताकि बैंकिंग आयोग को अधिक विश्वसनीय और ग्राह्य संस्था बनाया जा सके जिससे अधिकारियों और कलर्कों की भरती अधिक अच्छे ढंग से की जा सके । लेकिन इसके बजाए सरकार इस आयोग को ही समाप्त कर देने का प्रस्ताव ला रही है जो एक अजीब सी बात है ।

जब बैंककारी आयोग अधिनियम 1975 में पारित किया गया था तो हम सबने—सरकार और विपक्ष सभी ने उसका समर्थन किया था । परन्तु आज हममें से कुछ ने अपना विचार बदल दिया है और बैंककारी आयोग अधिनियम तथा बैंककारी आयोग को समाप्त करने के लिये सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है । क्या यह बेहतर होगा ? क्या इस प्रकार हम सुधार कर रहे हैं। मेरे विचार में यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी ।

इससे भाई-भतीजावाद, पक्षपात, सदाचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जोकि एकाधिकारवादी पूंजी और बैंकों के निदेशक बोर्डों में उनके प्रतिनिधियों के साथ अभिन्न तौर से सम्बद्ध है । यह विकेन्द्रीकरण न होकर भर्ती नीति को निर्धारित करने वाली एकाधिकारवादी पूंजी और उनके उन प्रतिनिधियों को संरक्षण, शह और बढ़ावा देना है जो कि विभिन्न निदेश बोर्डों में पदों पर बैठे हुए हैं और भरती की नीति निर्धारित कर रहे हैं। इस पर हमें आपत्ति है।

इस सब पर संसदीय और सांविधिक नियन्त्रण होना चाहिये जोकि ऐसे आयोग से हो सकता है जिसके एक समान मार्गदर्शी सिद्धान्त एक समान भरती की नीति हो परन्तु यह सब नहीं हो रहा है । हम इस स्थिति के खिलाफ हैं।

सरकार मार्गदर्शी सिद्धान्त देने की बात करती है परन्तु संसदीय नियन्त्रण और निरीक्षण के बिना ये सब बेकार हैं । इससे भर्ती के मामले में स्वच्छन्दता ही आयेगी क्योंकि पहले भी एक मामले में सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को इन जातियों के उम्मीदवारों से भरवाने में असफल रही है क्योंकि नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धकों और निदेशक बोर्ड के हाथ में है ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस विधेयक का विशेष विरोध करते हैं क्योंकि इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा । इससे वह चीज ही समाप्त हो जयेगी जिसमें और सुधार होना चाहिये था। भरती के मामले में ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये हमें इसी प्रकार एक समरूप संस्था की आवश्यकता है । इस विधेयक से न केवल नियुक्ति और भर्ती के मामले में एकाधिकारवादियों और निहित स्वार्थों की स्थिति मजबूत होगी बल्कि बैंकों में क्लर्कों और अधिकारियों के रूप में अवांछनीय तत्व भी प्रवेश पा जायेंगे। हम सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा करने की नीयत से लाये जाने वाले इस निन्दनीय, प्रगति विरोधी आपत्तिजनक और आवेशकारी विधान का कड़ा विरोध करते हैं ।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Almora) : Sir, it is really surprising to hear a senior leader from Uttar Pradesh saying that this Bill is reactionary. He also said that the decision to nationalise the banks had been taken in 1969 at the Banglore Session of the Congress on the basis of its political and economic thinking.

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
H. D. S. *in the Chair.*]

We would like to remind him that this decision was taken on the basis of stray thoughts of an individual i.e. Smt. Indira Gandhi.

So far as this Bill is concerned, it has been said that the Government is going to entrust the power of the banks in the hands of a few directors. It has also been laid that they want to block the activities of the banks. Our reverend opposition leader Shri Chawan had stated in Lok Sabha that this Commission would lead to the cultural integration of the country but the banks are essentially concerned with currency and finance. Cultural integration is not their job. Let them do their work properly. Let them extend their services in the rural areas. And when the bank have to go to the villages, it is but natural that only those people who understand the language of village, will be able to serve the people living there. Here I want to emphasise that for the effective functioning of the banks, in ruarl areas, the people of that particular region should be recruited without any caste and creed considerations. While deciding about the recruitment procedure, suggestions from the opposition also may be invited and considered. The ankBing Commission cannot do this sitting in Delhi. If we want to improve the rural life of their country, these recruitments will have to be made according to the needs of that particular area. We shall have to bring forth only those people in the services of those rural banks who understand rural problems.

In the end, I would like to mention that, this Bill has been introduced to decentralise instead of centralising the activities of the banks. Naturally it is a step towards decentralisation.

With these words I would request to the members of the opposition not the obstruct the passage of the Bill and to withdraw their objections, if any.

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय बैंककारी आयोग अधिनियम के मध्य से सरकार को बैंकों के कार्यकरण पर नियन्त्रण की शक्ति प्राप्त थी परन्तु अब उसका निरसन किया जा रहा है। लेकिन पिछली सरकार ने इस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया क्योंकि उसने आयोग बनाने में और परिणामत: उसके कार्यकरण में विलम्ब किया और वर्तमान सरकार इस आयोग को समाप्त करना चाहती है। इस प्रकार वास्तव में इन दोनों सरकारों के सोचने में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों ही चाहती हैं कि सरकार का बैंकिंग व्यवस्था पर कोई नियन्त्रण न हो।

जनता पार्टी ने सत्ता में आने पर अध्यादेश जारी करके बैंकिंग आयोग को ही समाप्त कर दिया जिसका अर्थ यह हुआ कि सरकार स्वतंत्र उद्यमों के पक्ष में है। यह विधेयक इसी नीति का अंग है। अत: हमारा दल इस विधेयक का विरोध करता है।

यदि केवल केन्द्रीयकरण की ही बात होती तो विधेयक में संशोधन करके इसका निराकरण किया जा सकता था। भरती एजेंसी के विकेन्द्रीकरण के लिये संशोधन विधेयक लाया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं है। वस्तुत: यह प्रश्न सरकार का नियन्त्रण समाप्त करने का है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे चाहे किसी भी दल से सम्बन्धित हों इस मामले में निष्पक्ष ढंग से सोचें।

इस मामले में एक बहुत ही विचित्र बात हुई है। सदन के अधिवेशन के लिये 17 सितम्बर को आमंत्रण जारी किये गये। उसके बाद 19 सितम्बर को जब सदन की बैठक होने वाली थी उस समय एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी ऐसी क्या जल्दी थी।

राज्य सभा द्वारा यह विधेयक अस्वीकृत कर दिये जाने पर यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। क्या यह मामला इतने अधिक महत्व का है कि इसके लिये ऐसा किया गया? मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा सिद्धान्त निहित है? वित्त मंत्री के अनुसार इसका प्रयोजन विकेन्द्रीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुचाना और समन्यायपूर्ण ढंग से भरती करना आदि है। विद्यमान अधिनियम में ये उपबन्ध पहले से ही हैं। अधिनियम की धारा 3 उपधारा (4) में व्यवस्था है कि आयोग केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य अथवा राज्यों के

समूह में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकता है। धारा 7(1) की व्यवस्था के अन्तर्गत आयोग अपने कृत्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजित करके एक या एकाधिक समितियों का गठन कर सकता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम में क्षेत्रीय कार्यालयों विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं में परीक्षायें लेने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये विशिष्ट कोटा निर्धारित करने भरती के लिये परीक्षायें आयोजित करने उप-आयोग की नियुक्ति करने, आदि सभी उपबन्धों इसमें हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था है वह यह है कि आयोग संसद् के प्रति उत्तरदायी है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि उसके उपबन्धों को अधिसूचना द्वारा अन्य बैंकों पर भी लागू किया जा सकता है । यह असुविधाजनक कैसे बन गया। अब इसे समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस अधिनियम में क्षेत्रीय प्रबन्ध की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की तथा विभिन्न राज्यों में परीक्षा लेने की तथा विभिन्न क्षेत्रों से उप-आयोगों को सम्बद्ध करने की व्यवस्था है और यह सब बात आप भी करना चाहते हैं। जनता सरकार ने जो नई व्यवस्था की है वह प्रशासकीय प्रबन्ध है जो प्रशासक की मनमानी पर निर्भर करेगा। वह व्यवस्था से संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी और उसे अन्य बैंकों पर भी लागू नहीं किया जा सकेगा। वरन वह केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर ही लागू होगी।

सरकार बैंकों को विभिन्न समूहों में बांट रही है :—पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह आदि । क्या इससे लोगों को असुविधा नहीं होगी ? वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षायें ली जायेंगी । चुने गये उम्मीदवारों के पूल बनाये जायेंगे तथा उन्हें विभिन्न बैंकों में भेज दिया जायेगा । वर्तमान सरकार इस स्वस्थ तथा सर्वांगपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है । यह देश के हित में नहीं होगा।

यह विधान प्रतिक्रियावादी कदम होगा क्योंकि इससे भरती की ऐसी व्यवस्था बन जायेगी जिसमें संसद् के प्रति उत्तरदायित्व की बात नहीं रहेगी और इसे अन्य बैंकों पर लागू करने की बा संभावना भी नहीं रहेगी। इस प्रकार यह एक प्रतिक्रियावादी कदम है ।

यह पूछा गया है कि सांविधिक आयोग क्यों आवश्यक है ? मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहूंगा कि यदि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में लोक सेवा आयोग आवश्यक है तो बैंकों के लिये भरती के प्रयोजन के लिये एक सेवा आयोग को वे क्यों आवश्यक नहीं समझते ? इससे अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता है कि भरती की बेहतर व्यवस्था इसका प्रयोजन न होकर इसका प्रयोजन काफी गम्भीर है । इसका प्रयोजन संभवत : यह है कि बैंकों में किसी तन्त्र द्वारा वे अपने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करके अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना है।

इस सरकार में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने का साहस नहीं है किन्तु वे इसे परोक्ष रूप से करना चाहते हैं । बैंकों में अपने कुछ लोगों को नियुक्त करने और उनके माध्यम से वित्तीय मामलों का प्रबन्ध अपने हाथ में रखने का और उन लोगों को किसी के प्रति जवाब देय न बताने का यह दूसरा तरीका है। और इस प्रकार इसका उद्देश्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करना है।

उस चीज को निरस्त नहीं किया जा सकता जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश द्वारा संसद् को धोखा दिया गया है। सरकार सीधा रास्ता अपनाकर संसद् के समक्ष आने को तैयार नहीं है । और अब वह यह चाहती है कि हम संयुक्त बैठक करके इस अधिनियम का निरसन करने की कार्यवाही पूरी करें जो पहले ही समाप्त हो चुका है । इन शब्दों में मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री शंकर घोष (पश्चिम बंगाल) : उद्योग मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक द्वारा वे उस चीज को समाप्त करना चाहते हैं जो हमने की थी । इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य उस कार्य को समाप्त करना है जो हमने बैंकारी सेवा आयोग नियुक्त करके किया था । इस विधेयक द्वारा वे संसदीय नियन्त्रण और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के उपबन्ध जिनकी मूल विधेयक में व्यवस्था की गई थी समाप्त करना चाहते हैं। इस विधेयक द्वारा वास्तव में अखिल भारतीय स्तर पर निष्पक्ष भरती को समाप्त करने और जनता पार्टी के कुछ एककों द्वारा भरती नीति पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

जहां तक बैंक के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है यह न केवल धन पर नियन्त्रण रखने के प्रयोजन से वरन् इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भी किया गया था कि धन का निवेश कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में किया जाये। किन्तु सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है उसके अनुसार उन्हें किसी बैंक द्वारा ऋण देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और इस प्रकार वह बैंक का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर सकती है। छठी योजना के मसौदे में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो उद्योग कुछ विशिष्ट उत्पादों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे उन्हें बन्द कर दिये जाने की अनुमति दे दी जायेगी।

इस विधेयक को उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लाया गया है जो विपक्ष से सलाह लिये बिना संसद् का सत्र आरम्भ होने के कुछ ही दिन पूर्व जारी किया गया था। यह वह काला कानून है जिसका श्रमिक वर्ग द्वारा विरोध किया गया है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा निष्पक्ष अखिल भारतीय स्तर पर भरती नहीं की जाएगी वरन क्षेत्रीय और राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर भरती की जायेगी।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कार्यों का सम्बन्ध है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना समाप्त कर दिया है। क्या दांत वाला समिति नियुक्त नहीं की गई थी तथा क्या इस समिति की नियुक्ति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं का विस्तार अवरुद्ध नहीं हुआ है।

यदि सरकार का उद्देश्य समस्त नीति में परिवर्तन करना है तो उसमें सरकार सफल हुई है। जनता पार्टी के सत्ता में आने के समय औद्योगिक उत्पादन विकास की दर 10.6 प्रतिशत थी और अब वह कम होकर 5.6 प्रतिशत रह गई है। उनके सत्ता में आने के समय रोजगार दफ्तरों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 96 लाख थी और अब यह बढ़ कर 108 लाख हो गई है। इस प्रकार बेरोजगारी में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में पिछली योजना की तुलना में 160 प्रतिशत अधिक रुपया लगाया गया था जबकि छठी योजना में यह वृद्धि केवल 60 प्रतिशत होगी। सरकारी पक्ष के सत्ता में आने के पहले वर्ष में 60 लाख काम के दिन बेकार गए और अब इसकी संख्या बढ़कर 110 लाख दिन हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं इस काले विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं आपका ध्यान लेखा कार्य के एक बहुत मामूली मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। एक दिन की संयुक्त बैठक पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च आता है फिर इसकी उपयोगिता क्या है? किस उद्देश्य से इतना रुपया व्यय किया गया है वित्त मंत्री ने बताया है कि वे कुछ बचत करना चाहते हैं तथा बैंककारी सेवा आयोग के अध्यक्ष पद को समाप्त करना चाहते हैं। यदि वे इस प्रकार की बचत करना चाहते हैं तो ऐसे मन्त्रीं को प्रशिक्षण के लिये एक बैंककारी सेवा आयोग की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहता हू कि प्रश्न समाजवाद और पूंजीवाद का नहीं है वरन सामन्तवादी समाजवाद और समाजवाद विरोधी तत्वों का है। हमें कांग्रेस के समान्तवादी समाजवाद और जनता पार्टी की मसाजवाद विरोधी धारा के बीच चुनाव करना है।

मैं इस विधेयक का इसलिये विरोध करता हूं कि क्योंकि यह प्रगतिशील नहीं है और इससे विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और इससे विघटन बढेगा तथा सामन्तवाद, प्रादेशिकता, भाई-भतीजावाद और अक्षपात बढ़ेगा। मैं चाहता हू कि सभी सदस्य इस विधेयक का एकजुट होकर विरोध करें।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : यह कहा गया है कि आयोग की स्थापना और उसके निरसन के बाद सभी नियुक्तियां अवैध हो जायेंगी। अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने तक बैंकों में नियुक्तियां पूर्ववत् होती रहेंगी। धारा 15(I) के अधीन यह अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अतः कोई कानूनी अड़चन नहीं आयेगी।

यह भी कहा गया है कि जब हम विरोध पक्ष में थे तब हमें अध्यादेश जारी किये जाने का विरोध करते थे। किन्तु हमारा विरोध अध्यादेश जारी करने के लिये नहीं होता था वरन वह विरोध संसद् के सत्र के प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले तथा समाप्त होने के तुरन्त बाद ही अध्यादेश जारी करने पर होता था। यह कहा है कि सरकार का

उद्देश्य संसद् के समक्ष आने से बचना अथवा उसको टालना है। अधिनियम में उत्तर दायित्व डालने की बात कही गई है और यदि अधिनियम से छुटकारा पाने की बात की जाये तो किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं रह जायेगा। उत्तरदायित्व से बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संसद् को उस सब की जानकारी दी जायेगी जो नई प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी जिसके लिये बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने तथ्यों को देखने का कष्ट नहीं किया है। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जुलाई 1969 में दोनों सदनों के समक्ष बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य यह बताये थे :—

(एक) जनता की बचत को अधिकाधिक सीमा तक उपयोग करना तथा योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार उसे उत्पादक कार्यों में लगाना।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले 14 महीनों में क्या ऐसी कोई बात हुई है जिससे उन्हें यह आभास होता हो कि ऐसा नहीं हो रहा है या उसमें कमी आई है।

(दो) बैंककारी प्रणाली के कार्यचालन सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिये तथा कठोर सरकारी विनियमों के अनुसार होने चाहिएं। अभी भी ऐसा किया जा रहा है। इसके द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग व्यापार की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। चौथी बात यह है कि बैंकों का यह प्रयास होगा कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों विशेष रूप से किसानों, लघु उद्योगों तथा स्वनियोजन के व्यावसायिक वर्गों की अधिकाधिक मांग पूरी की जाये।

पहिले की अपेक्षा इन बातों पर आज अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंक बचत की राशि में वृद्धि करने तथा उसका उपयोग करने में पहिले से अधिक सफल रहे हैं। आज बैंक उद्योग तथा व्यवसाय के अपेक्षाकृत क्षेत्रों को अधिक ऋण देने में सफल रहे हैं। सट्टेबाजी के प्रयोजन के लिये ऋण देने में रोक लगी है सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये जो सामाजिक लक्ष्य रखे थे उनको पूरा करने के लिये सरकार ने सक्रिय कार्यवाही की है।

जब हमने सत्ता संभाली तो 750 समुदाय विकास ब्लाकों में कोई बैंक नहीं था। एक वर्ष के अन्दर अब बिना बैंक वाले ब्लाकों की संख्या घटकर केवल 250 रह गई है। हमारा इरादा यह है कि जून 1978 तक सभी समुदाय विकास ब्लाकों में बैंक की व्यवस्था हो जाये। हमने समूचे देश में ब्याज की भिन्न दर की योजना लागू करदी है।

श्री पाई ने कहा है कि अधिनियम में स्वयं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का उपबन्ध है। यह प्रशासनिक निदेशों से बेहतर है। ऐसे उपबन्ध आवश्यक हैं। यद्यपि भूतपूर्व सरकार के दौरान अधिनियम में उपबन्ध था और वे कहते भी थे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होना चाहिये था किन्तु हुआ कुछ नहीं। बैंकों में इन लोगों की भर्ती के लिये कोई नियम नहीं थे।

अब हमने अनुदेश जारी किये हैं कि बैंकों में अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 7.5 प्रतिशत का अनुपात होना जरूरी है। सभा को यह जानकर हर्ष होगा कि 1977 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कुल भर्ती 30 प्रतिशत से अधिक रही है।

ये बैंक आल इंडिया बैंक हैं। इस तरह हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में यथासंभव अधिकाधिक लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाये जोकि क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर सकते हैं। यही एक मात्र आवश्यक और वास्तविक कदम है। हमने वास्तव में एक प्रगतिशील कदम उठाया है और हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेंगे जोकि हमारे दिमाग में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम 1975 का निरसन करने वाले विधेयक पर लोक सभा द्वारा पारित किन्तु राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत रूप में पर्यालोचन के प्रयोजनार्थ विचार किया जाये।"

मत विभाजन हुआ

DIVISION TOOK PLACE

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक सदस्य को एक स्लिप दी जायेगी जोकि दोनों ओर छपी हुई है । उसमें सदस्य अपना नाम डिवीजन संख्या तथा जिस सभा के हैं वह लिखेंगे। जिस तरफ हरे रंग में छपा हुआ है वह "पक्ष" के लिये है तथा जिस तरह लाल रंग में छपा है वह "विपक्ष" के लिये है। सदस्य जैसा भी चाहें साफ-साफ लिख दें ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मत विभाजन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया पर मुझे आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम के अनुसार चल रहा हूं।

श्री के० लक्कप्पा : यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी प्रकार की हेराफेरी न हो ।

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :

पक्ष में 439 विपक्ष में 208

AYES 439 *NOES* 208

श्री भूपेश गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शंकर घोष : मैं अपना संशोधन 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री भूपेश गुप्त ने खंडों पर बोलते हुए कहा : मैंने विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने वाले प्रस्तावित खंड पर एक संशोधन दिया था । मैं इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं देना चाहता। यहां "नियुक्ति का दिन" का अर्थ 19 सितम्बर है। किन्तु मेरा प्रस्ताव यह है कि "नियुक्ति का दिन" वह दिन होगा जिस दिन राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दी होगी । सैद्धान्तिक रूप से मैं इसे संसदीय विधान द्वारा भूतलक्षी प्रभाव देने के पक्ष में नहीं हूं ।

राज्य सभा ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया था और अध्यादेश व्यपगत हो गया था । बैंककारी सेवा वजूद में आ गई थी और वह वजूद में रही। सरकार ने राज्य सभा तथा संसद् की भावनाओं का आदर नहीं किया, क्योंकि अधिनियम मौजूद था । फिर भी उन्होंने कार्यालय नहीं खोला। बैंककारी सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सेवा आरम्भ करने के लिये चर्चा करने हेतु कई पत्र लिखे थे। इस बात के होते हुए भी कि अध्यादेश व्यपगत हो गया है सरकार ने किसी पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसलिये मैं इस समूचे मामले को गैरकानूनी समझता हूं ।

श्री शंकर घोष : मैं अपना संशोधन, संख्या 8 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपको उनका संशोधन स्वीकार है ?

श्री एच० एम० पटेल : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भूपेश गुप्त का संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 7 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शंकर कोप का संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 8 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill

खण्ड 5

CLAUSE 5

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर संशोधन संख्या 3 एक सरकारी संशोधन है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 108 (4) के अनुरूप नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि यह एक प्रतिस्थापन संशोधन है तथा केवल विधेयक के पास करने में हुए विलम्ब से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये यह नियमानुकूल नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले पर विचार किया है। यह संशोधन अनुच्छेद 108(4) के परन्तुक (क) के अन्तर्गत ग्राह्य है। आप की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

श्री एच० एम० पटेल: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"व्यावृत्ति। 5(1) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 (1977 का 10) के, जो प्रवृत्त नहीं रह गया है अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम की कोई बात बैंककारी सेवा आयोग के अध्यक्ष या उक्त आयोग द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उसको लागू सेवा की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार उक्त अध्यादेश के प्रवृत्त न रहने की तारीख से उस तारीख तक जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें हैं) वेतन भत्ते या अन्य फायदे पाने के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।"

[Page-2, *for* lines 42 to 47, *substitute*—

"Savings. 5(1) Anything done or any action taken under the Banking Service Commission (Repeal) Ordinance 10 of 1977 (10 of 1977), which ceased to operate, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(2) Nothing in this Act shall be deemed to affect the right of the Chairman of the Banking Service Commission or of any other person appointed by the said Commission to receive salary, allowances or other benefits, in accordance with the terms and conditions of service applicable to him, for the period from the date of cesser of operation of the said Ordinance till the date on which this Act receives the assent of the President (both days inclusive)."]

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"'व्यावृत्ति। 5(1) बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश 1977 (1977 का 10) के, जो प्रवृत्त नहीं रह गया है, अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम की कोई बात बैंककारी सेवा आयोग के अध्यक्ष या उक्त आयोग द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के, उसको लागू सेवा की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार उक्त अध्यादेश के प्रवृत्त न रहने की तारीख से उस तारीख तक जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है (जिसके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें हैं) वेतन भत्ते या अन्य फायदे पाने के अधिकार पर, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।"

[Page-2, *for* lines 43 to 47, *substitute*—

"Savings. 5(1) Anything done or any action taken under the Banking Service Commission (Repeal) Ordinance, 1977 (10 of 1977), which ceased to operate, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(2) Nothing in this Act shall be deemed to affect the right of the Chairman of the Banking Service Commission or of any other person appointed by the said Commission to receive salary, allowances or other benefits, in accordance with the terms and conditions of service applicable to him for the period from the date of cesser of operation of the said Ordinance till the date on which this Act receives the assent of the President (both days inclusive)."]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अगला संशोधन श्री काम्बले का है। पहले स्वीकार किये गये संशोधन के संदर्भ में उन का संशोधन ग्राह्य नहीं रहता। अब प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

CLAUSE 1

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में,

"1977" के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाए।

[Page 1, line 4, *for* "1977" *substitute* "1978"]

श्री भूपेश गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में "1977" के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाये।

[Page 1, line 4, *for* "1977" *substitute* "1978"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भूपेश गुप्त का संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1. as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

The Enacting Formula

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "अठाईसवें" के स्थान पर "उन्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

[Page 1, line 1. *for* "Twenty eighth" *substitute* "Twenty-ninth]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "अठाईसवें" के स्थान पर "उन्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

[Page 1, line 1, *for* "Twenty eighth" *Substitute "Twenty-ninth"*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Title was added to the Bill

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पास किया जाये

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित् रूप में पास किया जाये।"

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं इसे अपना विशेष सौभाग्य समझता हूं कि मुझे संयुक्त बैठक के ऐतिहासिक अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया है। मैंने लोक सभा में इस विधेयक के पक्ष में तभी मत दिया था, जब कि वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दे दिया था कि जनता सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण के पक्ष में ही नहीं अपितु उसे और सुदृढ़ करने की है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से ही सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की सहायता की जा सकती है।

यह विधेयक पिछली संसद् द्वारा आपात की अवधि में पास किया गया था .... (व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि तृतीय वाचन में विधेयक का या तो समर्थन किया जाता है या उसका विरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बातों को नहीं उठाया जा सकता। श्री मावलंकर ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसका विधेयक के समर्थन अथवा विरोध से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम तो नहीं है, फिर भी परम्परा है कि तृतीय वाचन में विवादग्रस्त बातों को नहीं उठाया जाता। मैं श्री मावलंकर से अनुरोध करूंगा कि वह विवादग्रस्त बातें न उठायें।

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, मुझे आपका आदेश मान्य है। मैं मूल विधेयक का, जिस का निरसन किया जा रहा है विरोधी हूं और वर्तमान विधेयक का समर्थन करता हूं।

नई सरकार की क्षेत्रीय बोर्डों की नीति से भर्ती केवल सुगम और व्यावहारिक हो जायेगी, अपितु क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : विधेयक संशोधित रूप में पास किया गया।"

संसद् के सदनों की संयुक्त बैठक समाप्त होती है।

इसके बाद संसद के सदनों की संयुक्त बैठक समाप्त हुई।
The Joint sitting of the Houses of Parliament then concluded.

P.L.S. 48 (J.S.) I. 1.78(N)
340

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

संसद के सदन (संयुक्त बैठक तथा संदेश) नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

© 1978 By The Lok Sabha Secretariat

Published under Rule 8 of the Houses of Parliament (Joint Sittings and Communications) rules and Printed at the Government of India Press, Faridabad